आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

अप्रैल 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹



अभिव्यक्ति नहीं, मलिनता की मानसिकता पर हो कुठाराघात

"बेशक अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की है
जो उसके मालदारों से वुसूल की जाएगी
और उसके ज़रूरतमंदों को
लौटाई जाएगी।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

with best compliment from

K. Abu Bakar
(Goa)

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

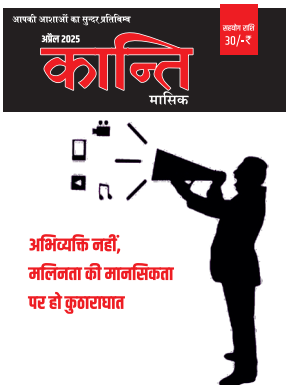
Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 10 अप्रैल 2025

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
त्योहार का संदेश नफ़रत नहीं, सद्भाव और रहमत
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
मनुष्य और मशीन का आपसी सहयोग एवं सहकारिता
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

सौंदर्य बोध 11
उद्देश्यपूर्ण जीवन का मनोविज्ञान
एस. अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 13
अभिव्यक्ति नहीं, मलिनता की मानसिकता पर हो कुठाराघात
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
अभिव्यक्ति, अश्लीलता और समाज
प्रो. निरंजन कुमार

समाधान 21
सर्वोपरि हो संतुलन की सुनिश्चितता
लुबना सबूब

कविता 24
अभिव्यक्ति
राजेश कौरव 'सुमित्र'

समसामयिक 25
परीक्षा-आधारित नहीं, ज्ञान-आधारित हो शिक्षा प्रणाली
डॉ. प्रदीप कुमार

मंथन 28
भाषा की राजनीति या राजनीति की भाषा ?
जितेंद्र गौतम

विशेष 31
रोज़े और ईद का पैग़ाम
तबाना नूरी

आर्थिकी 34
आदर्श आर्थिक व्यवस्था से दूरी का परिणाम
मुहम्मद सिकन्दर

विचारणीय 37
मूर्खता का समर्थन क्यों?
गुलज़ार सहराई

सेहत 39
पाचन संबंधी रोगों के प्रति रहें सचेत
संपादन प्रभाग

करियर 41
आज के ज़माने के कुछ शानदार करियर विकल्प
संपादन प्रभाग

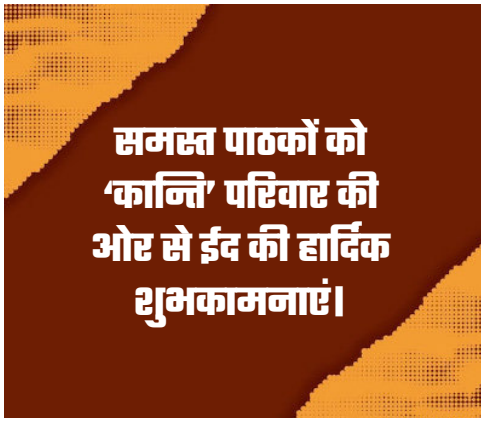
कहानी 44
जामुन का पेड़
कृष्ण चंदर

आख़िरी पन्ना 48
एकेश्वरवाद : हर मैदान का मार्गदर्शक
डॉ. शाहिद अली

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान



त्योहार का संदेश नफ़रत नहीं, सद्भाव और रहमत

कैसी विडंबना है कि त्योहार और फेस्टिवल जो कि आते ही हैं सभों को एक करने के लिए, ख़ुशी, प्रेम और सद्भाव का नग़मा गुनगुनाने के लिए, इस अवसर को भी लोग नफ़रत की फ़सल काटने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। इस बार होली के अवसर पर हिन्दी प्रदेशों के कई शहरों और क़स्बों में नफ़रत ने जिस तरह दहशत का रूप धारण किया है, उससे लगता है कि लोग नफ़रत का ज़हर छुपाए मौक़े की ताक में बैठे थे। इससे पहले रामनवमी के अवसर पर भी गुजरात से बंगाल तक नफ़रत ने जिस प्रकार हिंसा का रूप धारण कर लिया था, वो हमारी साझी तारीख़ पर बदनुमा दाग़ है। इस बार तो होली के पहले ही से जिस प्रकार की बयानबाज़ी, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की तरफ़ से शुरू हो गयी थी, इससे ये स्पष्ट-सा हो गया था कि त्योहार के मौक़े पर नफ़रत अब महज़ संयोग नहीं, एक पूर्वनियोजित प्रयोग है।

ये मानने में भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज में नफ़रत बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। हर तरफ़ नफ़रत का बाज़ार गरम है। चुनाव और त्योहार का अवसर नफ़रत की दबी लहर को और अधिक तेज़ कर देता है। समाज और राजनीति से जुड़े कुछ नफ़रती गिरोह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

ये भी एक मुसीबत है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में एक प्रांत और क्षेत्र की नफ़रत तेज़ी के साथ देश के दूसरे हिस्से में पहुंच जा रही है। बल्कि अब तो ये लग रहा है कि नफ़रत और उन्माद का भूमंडलिकरण हो गया है, पश्चिमी देशों के अंदर जो नस्लीय भेदभाव (Ethnic Discrimination) और सांस्कृतिक नफ़रत हम पढ़ते रहे हैं वो अब तीसरी दुनिया में फैल रही है। ये नफ़रत यूं ही अगर जारी रही तो ये हमें विनाश के मार्ग तक ले जाकर छोड़ेगी। किसी ने सही कहा है कि हमें बरबाद होने या करने के लिये ज़हर, गोला-बारूद या दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम ख़ुद ही ख़ुद से नफ़रत और दुश्मनी कर अपनी बर्बादी की कहानी लिखने के लिए काफ़ी हैं। नफ़रत हमारे रचनात्मक दिमाग़ और शरीर के विपरीत काम करती है। नफ़रत हमें नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। यह कभी हमें विचार विमर्श का मौक़ा नहीं देती। नफ़रत के साथ हम अपने जीवन में कभी भी कुछ ठोस प्राप्त नहीं कर सकते।

निस्संदेह धर्मों के बीच भिन्नताएं हैं मगर जब आप धर्मों के बीच कॉमन बिन्दु तलाशेंगे तो आप सहज तौर पर इस नतीजे तक पहुचेंगे कि धर्मों की आत्मा एक है और वो दो बिंदुओं से युक्त है। एक, ईश-भक्ति और दूसरा, धरती के सारे बासियों के साथ प्रीत यानी प्रेम।

प्रेम और नफ़रत दुनिया की दो ऐसी भावनाएं हैं जिनकी जकड़ से इन्सान कभी मुक्त नहीं हो सकता। दोनों मन की ऐसी अवस्था है जिससे इन्सान को जीवन में अनेकों बार गुज़रना पड़ता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने वाली विरक्ति (उदासीनता) से नफ़रत की पैदाइश होती है, फिर ये ऐसी शक्तिशाली भाव बन जाती है कि उस व्यक्ति और वस्तु को देखना तक गवारा नहीं होता।

जिस प्रकार प्रेम में स्नेह, ममता, समर्पण, उपासना आदि भावनाएं होती हैं उसी प्रकार नफ़रत के साथ ईर्ष्या, भय, खिन्नता आक्रमण और हिंसा के भाव पाए जाते हैं। नफ़रत के कई कारण हो सकते हैं...

अज्ञानता सबसे बड़ा कारण नज़र आता है इसका। अक्सर उन लोगों से और उन विचारों से हम धीरे-धीरे नफ़रत करने लग जाते हैं जो हमारे से अलग हैं, जिसे हम ठीक से जानते नहीं। कभी-कभी हम

अतिसंवेदनशीलता के कारण अन्य लोगों के विचारों को अनदेखा करते हैं। हम कभी-कभी किसी को नहीं सुनते और अपने स्वयं के असत्य तथ्यों और विचारों पर विश्वास करते हैं। ये सभी अज्ञानता के अलग-अलग रूप हैं। जो हमारी विचारधारा से अलग है, सीमाओं से अलग है, वह नफ़रत का पात्र नहीं, उसे जानने की जुस्तजू होनी चाहिए। धर्म और आस्था को लेकर हमारे यहां अधिक अज्ञानता पायी जाती है। कुछ तो धर्म के पंडितों और उलेमा का क़ुसूर है और कुछ हमारी ग़फ़लत कि हम स्वयं अपने धर्म के बारे में भी सुनी सुनायी बातों पर विश्वास करते हैं, धार्मिक ओरिजिनल टेक्स्ट का अध्ययन नहीं करना चाहते, धर्मों की बुनियादी अवधारणा और मूल भाव व स्वभाव से भी हम वाक़िफ़ नहीं। होली का ये अवसर इस बार जुमा के दिन आया तो राजनीतिक तौर पर नफ़रती सोच रखने वाले लोगों की तरफ़ से ये बयानबाज़ी की गयी कि मुसलमान जुमा का त्योहार वर्ष में 52 बार मनाते हैं, एक बार न मनाएं। हालांकि इस्लाम का अल्प ज्ञान भी ये जानने के लिए काफ़ी था कि जुमा वास्तव में एक इबादत (उपासना) है, कोई सांस्कृतिक त्योहार नहीं। पांच वक़्त की नमाज़ों में ये कोई इज़ाफ़ा भी नहीं है, जुमा के दिन ज़ुहर अर्थात दोपहर की नमाज़ की जगह ये नमाज़ पढ़ी जाती है, दिन भर का कोई कार्यक्रम और मेला नहीं लगता इस दिन।

नफ़रत की एक बड़ी वजह भय है। हम जिन लोगों से कारणवश या अकारण डरते हैं, अक्सर बाद में उन्हीं लोगों से नफ़रत करने लगते हैं। व्यावहारिक शोधकर्ताओं की मानें तो जो लोग दूसरों के प्रति नफ़रत करते हैं, वे ख़ुद के भीतर दूसरों से डरे हुए होते हैं। अस्ल में हम अपने जीवन को एक पद्धति के अनुसार विकसित कर लेते हैं, अपनी सीमाओं में सोचते हैं, अपनी सीमाओं में देखते और समझते हैं, इससे मन और मस्तिष्क का यह दायरा मज़बूत होता चला जाता है। फिर ये एक धारणा बन जाती है। जब अपने जैसी धारणा के लोग हमें मिलते हैं तब हम आत्ममुग्ध होकर एक दूसरे की इस धारणा को बल प्रदान करते हैं मगर जब कोई बाहरी व्यक्ति हमारी इन धारणा पर चोट करता है तब मन विचलित होने लगता है क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से एक धारणा को विकसित किया था और उस धारणा का विखंडन सहन कर नहीं सकते। जब तक हमारे पास बदले में देने के लिए शब्द हैं, शब्दों से हमला करते हैं। जब शब्द समाप्त होते हैं तब हमला शारीरिक हो जाता है।

संप्रदायों के बीच नफ़रत और घृणा का एक कारण अहंकार भी है। अहंकार वर्तमान और इतिहास से खोज कर हमें सिर्फ़ हमारी कहानी के बारे में बताता है और हर बार हमें नायक बनाता है। कभी-कभी यह हमारे जीवन को और अधिक विनाशकारी बना देता है। अहंकार अवैज्ञानिक ज़ेहन का पैदावार है, जब बयानों और बातों को समझने का वैज्ञानिक आधार नहीं हो तो अहंकार पैदा होता है जो सरासर मूर्खता है।

नफ़रत सबसे अधिक धारणाओं के निर्माण (image buil ding) से फैलती है, धारणाओं के निर्माण का काम आजकल मीडिया और सोशल मीडिया करता है।

धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। किसी के ख़िलाफ़ धारणा बनवाकर आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी सच्चे-झूठे इलज़ाम लगाइये, लोग फ़ौरन उसे सच मान लेंगे। धारणाओं के ज़रिए अक्सर धूर्त लोग, नेता और संगठन भोले-भाले लोगों का लाभ उठाते हैं। धारणाओं के ज़रिए लोगों में फुट डाली जाती है, उन्हें आपस में लड़वाया जाता है, उन्हें बिना एक-दूसरे को जाने-समझे ही एक-दूसरे के ख़ून का प्यासा तक बना दिया जाता है। यह धारणाओं की शक्ति के बल पर किया जाता है। धारणाएं दिखती नहीं है लेकिन यह अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बल के जितनी ही शक्तिशाली होती हैं। गुरुत्वाकर्षण की ही तरह धारणाओं को भी फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप इनपर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन ये दोनों आपको ज़रा-सी लापरवाही पर अर्श से सीधे फ़र्श पर पटक सकते हैं। किसी धारणा की परिधि एक घर तक भी सीमित हो सकती है या एक शहर तक या एक देश तक या फिर यह वैश्विक स्तर तक पहुंच रख सकती है।

धारणाओं को तोड़ना मुश्किल होता है, मगर असंभव नहीं। धारणाएं ख़त्म होंगी अपने आस-पास रहने वाले और ख़ुद से भिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति उदासीनता के ख़त्म होने से। सामाजिक मेल-मिलाप और एंगेजमेंट बेहद ज़रूरी है। वो सामाजिक-धार्मिक संगठन, समूह और कार्यकर्ता जो समाज में सद्भावना चाहते हैं, उन्हें हिंसा के बाद सद्भावना रैली और सद्भावना यात्रा आयोजित करने के साथ-साथ वर्ष के 12 महीने समुदायों और जातियों के मध्य मिलकर काम करने की फ़िज़ा बनाने पर काम करना चाहिए। हम मनुष्यों का पहला कर्तव्य यही है कि ग़लत धारणाओं को कुचलते चलें। समाज में धर्म की आत्मा अर्थात सच्ची धार्मिकता के लिए दीर्घकालिक काम की भी बड़ी ज़रूरत है।

धर्म का नाम लेकर मानव समाज के अंदर जो विघटनकारी शूल बो दिए गए हैं, इसका जवाब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि धर्म की वास्तविक अवधारणा और सच्ची धार्मिकता का बड़े दायरे में योजनाबद्ध तरीक़े से प्रचार-प्रसार हो। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बौद्धिक वर्ग धर्म के वास्तविक दर्शन को समझे बग़ैर इस ज़हरीली फ़िज़ा पर ज़बानी दुख का इज़हार तो करता रहता है, मगर भारतीय धार्मिक समाज को गहराई तक प्रभावित करने में नाकाम है। राजनीतिक सत्ता से उपकृत ऊर्जावान कुछ मुट्ठी भर तथाकथित धर्माचार्यों की ज़हरीली सोच से धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रोपेगंडा और एजेंडा के इस दौर में धर्म को लेकर इतना धूल-धक्कड़ उड़ाया गया है कि धर्म की पहचान मुश्किल हो गई है। निस्संदेह धर्मों के बीच भिन्नताएं हैं मगर जब आप धर्मों के बीच कॉमन बिन्दु तलाशेंगे तो आप सहज तौर पर इस नतीजे तक पहुचेंगे कि धर्मों की आत्मा एक है और वो दो बिंदुओं से युक्त है। एक, ईश-भक्ति और दूसरा, धरती के सारे बासियों के साथ प्रीत यानी प्रेम। ■■

"कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करने वाला अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करने वाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहने वाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखने वाले की तरह है।"

(हदीस: मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)



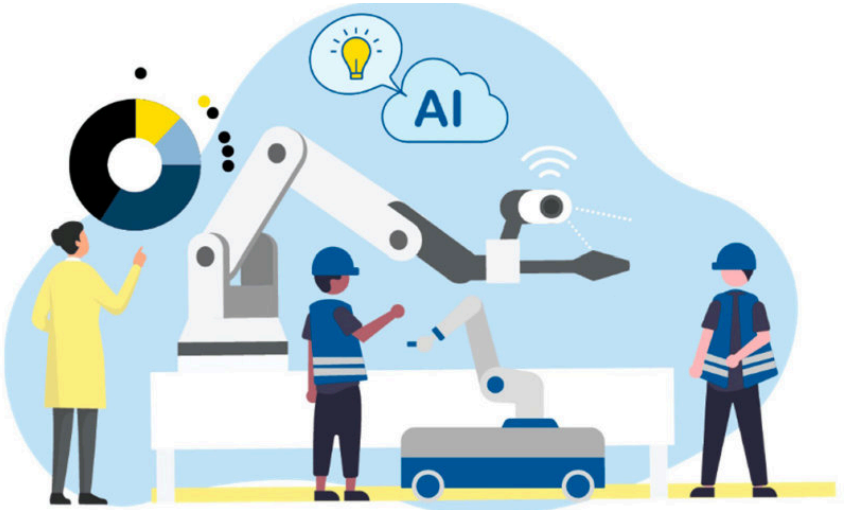
A Well Wisher

K.K. Salim
(Karnataka)

चिंतन



डॉ. मुहम्मद रिज़वान



मनुष्य और मशीन का आपसी सहयोग एवं सहकारिता

सामान्यतः विज्ञान के अनुप्रयोग को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पहली नज़र में यह परिभाषा बिल्कुल उचित प्रतीत होती है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस परिभाषा के तहत तय नहीं किया जा सकता। आधुनिक टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग तरीक़े से समाज के साथ अंतःक्रिया करती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने मानव सभ्यता एवं संस्कृति पर ऐसे प्रभाव डाले हैं जो हर ओर नज़र आते हैं।

टेक्नोलॉजी ने सामान्य मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों के अनुमान और निष्कर्ष दोनों को प्रभावित किया है। धर्मों, पुस्तकों और सभ्यता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रभाव धार्मिक सिद्धांतों के अनुमानों और निष्कर्षों में भी देखे जा सकते हैं। इसलिए विज्ञान, धर्म और समाज की चर्चा टेक्नोलॉजी, धर्म और समाज तथा उनके आपसी ताल-मेल और अंतःक्रिया की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती।

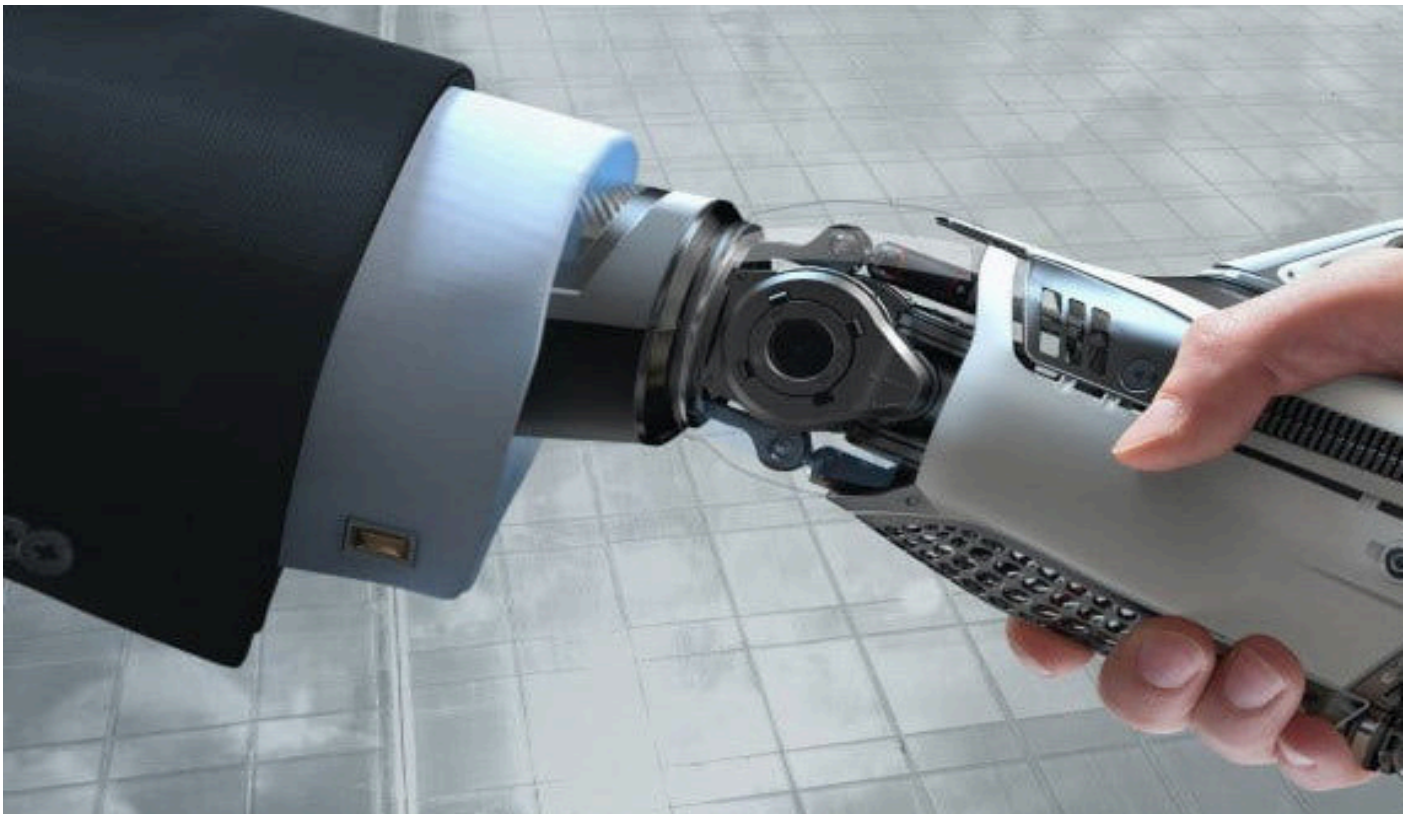
आम तौर पर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समग्र रूप में देखा गया, या ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के उत्पाद के रूप में टेक्नोलॉजी को देखा जाता है। अधिकांश साहित्य, यहां तक कि पश्चिमी साहित्य में भी, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समग्र रूप में ही देखा गया है, अर्थात् वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का नाम टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब इस पहलू से बात होने लगी है कि क्या टेक्नोलॉजी केवल विज्ञान का एक उप-उत्पाद (By-products) है। अतीत में इसी रवैये के चलते टेक्नोलॉजी की एक अलग पद्धति और दर्शन अस्तित्व में नहीं आ सका।

हालांकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के दर्शन में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में और इसके दर्शन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

इसलिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वैज्ञानिक पद्धति आदि पूर्ण आख्यानों के वाहक हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इस विमर्श में द्वितीयक स्थान रखती है। हालांकि पिछले दो दशकों के बीच इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है तथा दर्शन और टेक्नोलॉजी के विषय पर कुछ पुस्तकें और शोध-पत्र आने लगे हैं।

अलबत्ता इस्लाम और टेक्नोलॉजी पर बहुत कम साहित्य उपलब्ध है और जो उपलब्ध है वह भी प्रारंभिक स्तर का है और इसका दायरा और उद्देश्य भी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समग्र रूप में देखने तक सीमित है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी इस बात



की मांग करती है कि उसे एक केन्द्रीय विषय के तहत चर्चा में लाया जाए, न कि केवल विज्ञान के उत्पाद के रूप में देखा जाए। केवल विज्ञान के दर्शन के तहत उसकी व्याख्या न की जाए, बल्कि उसे समग्र रूप में देखा जाए और ऐसा इसलिए होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने समाज को इस तरह से जकड़ा हुआ है कि उसका कोई भी कोना इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। यहां तक कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। इसलिए सूचना प्राप्त करने के सभी स्रोतों पर टेक्नोलॉजियां सीधे तौर पर प्रभावी हैं।

विज्ञान की मौलिक कार्यप्रणाली, परिकल्पना, अवलोकन, डेटा और निष्कर्ष के हर पहलू पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। इसलिए ज्ञान के हर साधन और हर पद्धति पर यह विभिन्न दृष्टिकोणों से और असाधारण रूप से प्रभावी हो रही है।

टेक्नोलॉजी ने समाज को मौलिक रूप से बदलना शुरू कर दिया है, और यह परिवर्तन सर्वव्यापी है।

यानी यह बदलाव सिर्फ़ उत्पादन प्रणालियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बेहतर उपकरणों या युद्ध एवं मार-काट में काम आने वाले हथियारों तक सीमित नहीं रहा है। बल्कि संचार क्रांति के बाद टेक्नोलॉजी ने चेतन एवं अवचेतन के स्तर पर समाज की समग्र चेतना और इसके स्वरूप को प्रभावित और परिवर्तित करना शुरू किया है और इसकी असाधारण क्षमता पैदा कर ली है। इसलिए अब टेक्नोलॉजी को केवल विज्ञान के उत्पाद के रूप में देखना, उसके प्रति हमारे रवैये को उचित रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता।

हालांकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के दर्शन में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में और इसके दर्शन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी की मौलिक दार्शनिक गुत्थियों के बड़े आयामों में से एक है—"मानव और मशीन का आपसी सहयोग एवं सहकारिता।" टेक्नोलॉजी के दर्शन में यह बिंदु सबसे कठिन बिंदुओं में से एक है और बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इन सवालों के जवाब से और भी सवाल पैदा होने लगते हैं। उदाहरण के लिए मानव और मशीन के आपसी सहयोग एवं सहकारिता की सीमाएं क्या होंगी? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता मानवता के हितों के दायरे में होगी। इस जवाब से पुनः यह सवाल पैदा हो जाता है कि मानवता के हितों का दायरा कौन निर्धारित करेगा? और इसके नैतिक आधार कहां से लिए जाएंगे? यदि इन दोनों सवालों का जवाब यह दिया जाए कि धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद के मूल्यों के अनुसार मानवता के हितों का



निर्धारण किया जाएगा, तो यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद पर सार्वभौमिक सहमति है? अभिप्राय यह है कि मानव और मशीन के पारस्परिक सहयोग और सहभागिता का सरल-सा प्रतीत होने वाला यह बिंदु काफ़ी जटिलता से भरा हुआ है।

इसको एक अन्य उदाहरण के ज़रिये भी समझा जा सकता है। हृदय रोगों में पेसमेकर मानव और मशीन के पारस्परिक सहयोग का एक छोटा-सा उदाहरण है। इसके उपयोग को लेकर किसी को किसी से कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि पेसमेकर का कार्य हृदय को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या ऐसी मशीन का उपयोग किया जा सकता है जो समग्र रूप से मनुष्य की कार्यक्षमता बेहतर बनाए? क्या मानव पैरों के साथ ऐसे पैर जोड़े जाने चाहिए जो मनुष्य को चीते जैसी गति प्रदान कर दे? यदि हां, तो क्यों? और नहीं तो क्यों नहीं? इसी प्रकार क्या ऐसी मशीन बनाई जानी चाहिए जो मानव मस्तिष्क और कृत्रिम यांत्रिक शरीर का संयोजन हो? यानी इसमें केवल मानव मस्तिष्क हो और पूरा शरीर विभिन्न धातुओं से मिलकर बना हो?

मानव और मशीन के आपसी सहयोग के आयाम में तीन बिंदु महत्वपूर्ण हैं-(1) नैतिकता, (2) नैतिकता की नींव, और (3) सीमाओं का निर्धारण।

इस पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की नैतिकता क्या होगी? कहां से प्राप्त की जाएगी और उन्हें क्रियान्वित करने की शक्ति किसके पास होगी? इसके उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई कौन करेगा? नैतिकता का पालन हो यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र स्थापित किए जाएंगे? राज्य और व्यक्ति (टेक्नोलॉजिस्ट जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है) उसके व्यक्तिगत अधिकार और राज्य के बीच संबंधों की प्रकृति क्या होगी? विभिन्न देशों के बीच इस बिन्दु के तहत आने वाली टेक्नोलॉजी के उपयोग एवं अनुप्रयोग में असहमति की स्थिति में समस्या के हल के लिए क्या व्यवस्था होगी? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं, जिनका उत्तर टेक्नोलॉजी के वर्तमान दर्शन के पास नहीं है।

इसी बिंदु के अंतर्गत ट्रांस ह्यूमैनिज्म की सम्पूर्ण चर्चा समेटी जा सकती है। सरल शब्दों में, ट्रांस ह्यूमैनिज्म को विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को उसकी मौजूदा सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसके तहत मनुष्य में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बेहतर मनुष्य बनाने का प्रयास करना शामिल है, अर्थात ऐसा मनुष्य, जिसमें सामान्य मनुष्यों की तुलना में शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अधिक हों। यदि एक बार मानव और मशीन के पारस्परिक सहयोग की सीमाएं निर्धारित हो जाएं,

तो ट्रांस ह्यूमैनिज्म के सभी दर्शन ध्वस्त हो जाएंगे।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ट्रांस ह्यूमैनिज्म का गहन अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि यह मूलतः युजनिक्स का उन्नत रूप है। युजनिक्स बीसवीं सदी में मानव जाति को बेहतर बनाने के प्रयास का नाम है। 20वीं सदी में फ्रांसिस गॉल्टन ने इस बारे में बहुत काम किया है। (हम स्पष्ट कारणों से उनके नाम के आगे "सर" नहीं लिख सकते। उन्हें आमतौर पर सर फ्रांसिस गॉल्टन लिखा जाता है।) उन्होंने एक ऐसी मानव जाति के लिए व्यावहारिक प्रयास किए जो दोषों से मुक्त हो, जैसे कि बौनापन, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, लूले, लंगड़े और अंधे लोगों से मानव जाति मुक्त हो।

उन्होंने चयनात्मक प्रजनन (Selective Breeding) के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। बाद के समय में इस शर्मनाक और निकृष्ट कृत्य का कड़ा विरोध हुआ और इसे अवैध घोषित कर दिया गया। आधुनिक समय में कुछ शोधकर्ता और विचारक आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान को युजनिक्सकी आंदोलन से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि आधुनिक अनुवांशिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बेहतर गुणों को पैदा करना भी एक प्रकार से युजनिक्स ही है।

मानव और मशीन के पारस्परिक सहयोग और सहकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू साइबोर्ग (cyborg) है। यह शब्द साइबर (cyber) और ऑर्गेनिज्म (organism) से मिलकर बना है। साइबर यानी कंप्यूटर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आभासी वास्तविकता (virtual reality) से संबंधित या उन विशेषताओं से संबंधित। और ऑर्गेनिज्म से तात्पर्य जीवित प्राणी से है–यानी ऐसा मनुष्य जिसमें कंप्यूटर या चिप्स या कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली गई हो।

"मानव और मशीन का आपसी सहयोग एवं सहकारिता।" टेक्नोलॉजी के दर्शन में यह बिंदु सबसे कठिन बिंदुओं में से एक है और बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इन सवालों के जवाब से और भी सवाल पैदा होने लगते हैं। अभिप्राय यह है कि मानव और मशीन के पारस्परिक सहयोग और सहभागिता का सरल सा प्रतीत होने वाला यह बिंदु काफी जटिलता से भरा हुआ है।

कुछ विशेषज्ञ गोगल ग्लास पहनना या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को भी साइबॉर्गिज़्म का एक रूप मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साईबोर्ग वास्तव में एक ऐसे मनुष्य को कहा जाएगा जो मशीनों से संचालित अंगों के कारण सामान्य मनुष्यों से शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं में बहुत बेहतर हो। यह महज़ ख़्याली पुलाव नहीं है, बल्कि रोबोटिक्स में होने वाले आश्चर्यजनक बदलावों ने साइबोर्ग को एक वास्तविकता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। इसकी अपनी नैतिकता भी है, जिस पर शोध-लेख मौजूद हैं। इस अवधारणा और इस तकनीक पर कई शोधकर्ता काम कर रहे हैं।

साईबोर्ग की अवधारणा ने टेक्नोलॉजी के दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए—साईबोर्ग के बाद मनुष्य की परिभाषा क्या होगी? साइबोर्ग के बाद मनुष्य और मशीन के बीच की सीमाएं कैसे निर्धारित होंगी? यानी क्या और कितना मनुष्य और क्या और कितनी मशीन! साईबोर्ग के बाद मानवता की क्या अवधारणा होगी, यानी मशीन और मनुष्य का मिश्रण और इन मिश्रित इकाइयों का एक समाज, जिसे वर्ण-संकर मानवता (hybrid humanity) कहा जाए! इस स्थिति में मनुष्य की नैतिकता को पुनर्गठित करना पड़ेगा। इसके लिए किन आधारों का उपयोग किया जाएगा? साईबोर्ग समाज की सीमाएं क्या होंगी? युजनिक्स और साइबोर्ग के प्रस्थान बिंदु (departure points) क्या होंगे? साईबोर्ग आंदोलन युजनिक्स आंदोलन का आधुनिक रूप तो नहीं होगा? साईबोर्ग में स्वतंत्र इच्छाशक्ति (free will) की परिभाषा किस प्रकार निर्धारित की जाएगी?

अभिप्राय यह कि टेक्नोलॉजी के दर्शन का यह बिंदु अपने भीतर बहुत से आयाम समेटे हुए है, जिस पर आधुनिक टेक्नोलॉजी और उसका उभरता हुआ दर्शन मौन है। ■■



उद्देश्यपूर्ण जीवन का मनोविज्ञान

सौंदर्य बोध

एस. अमीनुल हसन

इस भौतिक जगत में कोई भी काम संसाधनों के बग़ैर और बिना मेहनत के संभव नहीं है। यहां जो जैसी मेहनत, संघर्ष और कोशिश करेगा उसे उसको वैसा ही फल मिलेगा। यह उम्मीद बेकार है कि हम काम कुछ न करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और नतीजा हमारे मन माफ़िक़ हो जाए। इन्सान जब मेहनत करता है तभी उसका फल पाता है। क़ुरआन में ईश्वर का कथन कहता है–

''इन्सान कुछ हासिल नहीं करता, सिवाय इसके कि जिसकी उसने मेहनत की, और यह कि उसकी कोशिश जल्द ही देखी जाएगी, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा।''

(क़ुरआन, 53: 39-41)

यह क़ुदरत का क़ानून है कि मेहनत, तैयारी और कोशिश के बग़ैर आप अपनी या अपने देश और समाज की क़िस्मत को संवार नहीं सकते। संघर्ष और मेहनत के रास्ते में कठिनाइयों, परेशानियों और आज़माइशों से सामना होना तय है, लेकिन इन्सान को हिम्मत नहीं हारना है, घुटने नहीं टेकना है और

"इन्सान कुछ हासिल नहीं करता, सिवाय इसके कि जिसकी उसने मेहनत की, और यह कि उसकी कोशिश जल्द ही देखी जाएगी, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा।"

(क़ुरआन, 53: 39-41)

अपने मक़सद पर मज़बूती के साथ जमे रहना है। इस संबंध में पवित्र क़ुरआन कहता है–

''और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि, ''हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है,'' उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 2:155-157)

अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इन्सान अपने जीवन में कोई मक़सद पैदा करे। जिनके पास कोई मक़सद होता है वह ख़ौफ़ के हालात में भी ज़िन्दा रह सकते हैं और जिसके पास कोई मक़सद नहीं होता वह जीते, जी मर जाता है। मनोविज्ञान के जानकार और विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जिन लोगों की ज़िन्दगी में कोई मक़सद होता है वे बुरे से बुरे हालात में भी उठ खड़े होते हैं और जिसके पास



कोई मक़सद नहीं होता वह ढेर हो जाता है, गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। क़ुरआन के साथ-साथ मनोविज्ञान के जानकार भी हमें यह बात बताते हैं कि जिस इन्सान, समूह या समुदाय के पास कोई ऊंचा मक़सद है तो वे ज़रूर उठ खड़े होंगे और बुरे से बुरे हालात भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते।

ज़िन्दगी के मक़सद का मतलब एक तो यह है कि जब हम किसी समूह या संगठन से जुड़े होते हैं तो उसका एक सामूहिक मक़सद होता है। यह एक अलग बात है, लेकिन सवाल उठता है कि व्यक्तिगत तौर पर एक इन्सान का क्या मक़सद होना चाहिए? इस बारे में जानकारों की पहली राय यह है कि इन्सान के पास इंसानियत, समाज और देश के लिए कोई न कोई काम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे इसकी खोज करनी चाहिए मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। हम अनाथों, ग़रीबों और बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हैं। पढ़ाने का काम कर सकते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। करने के बहुत से काम हैं, इस दुनिया में ऐसे कामों की एक बहुत लंबी-चौड़ी सूची तैयार की जा सकती है, बशर्ते कि हमारी ज़िन्दगी का कोई अर्थ हो। जीवन में कोई प्रतिबद्धता, समर्पण और हौसला मौजूद हो। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो आपकी ज़िन्दगी को बामक़सद बना सकते हैं।

दूसरी बात यह कि ऐसा कोई अनुभव जो आपके पास हो वह दुनिया के सामने छोड़कर चले जाएं। विचार, चिंतन, दर्शन, कला एवं साहित्य ऐसी ही चीज़ें हैं, जिसमें आप देते कुछ नहीं हैं, लेकिन इसमें आपका एक बौद्धिक अनुभव होता है, जिससे लोगों को जीवन का अर्थ और हौसला मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्सान अपने आप पर यक़ीन रखता है और ख़ुद को जानता व पहचानता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। वह जीवन में कभी हार कर बैठता नहीं। दुनिया उससे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन उसके हौसले और विचारों की उसकी आज़ादी को कोई उससे छीन नहीं सकता। यह वे विशेषताएं हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए।

हमें उमंग और हौसले वाला बनने की ज़रूरत है। हमें अपने मक़सद को याद रखने और हौसले को बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें एक साथ जुड़ने और मतभेदों को दूर करने की ज़रूरत है। मुहब्बतों को बढ़ाने और नफ़रतों को कम करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िन्दगी के माइने को जाने व पहचानें और उसमें मक़सद पैदा करें। किसी काम को करने की जो योग्यता या कौशल हमारे अंदर मौजूद नहीं है, हम उन्हें दूसरों से सीखें। हम पूरी मज़बूती, धैर्य और साहस के साथ धीरे-धीरे अपने क़दम आगे बढ़ाएं। हड़बड़ी और जल्दबाज़ी से दूर रहें। ये विशेषताएं ऐसी हैं जोकि अगर हमारे अंदर विकसित हो जाएं तो आने वाले समय में हमारे भविष्य को उज्ज्वल होने से कोई नहीं रोक सकता। ■■





अभिव्यक्ति नहीं, मलिनता की मानसिकता पर हो कुठाराघात

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

हम सभी ने बीते दिनों अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस को ज़ोर पकड़ते हुए देखा, विशेषकर इमरान प्रतापगढ़ी और रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामलों के संदर्भ में। इन दोनों घटनाओं ने समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और उनकी व्याख्या पर महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया।

इमरान प्रतापगढ़ी और रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामलों ने इस मुद्दे को नई धार दी, लेकिन इसके साथ ही एक और चिंताजनक पहलू सामने आया, लोकतंत्र के संरक्षक कहे जाने वाले सांसदों, नेताओं और न्यायाधीशों द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणियां। यह बहस अब सिर्फ़ अभिव्यक्ति की सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह भी विचारणीय हो गया है कि जिन पर मर्यादा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है, वे ख़ुद इसका पालन कर रहे हैं या नहीं?

सवाल यह भी है कि इमरान और रणवीर जैसे मामलों पर तो तेज़ी से कार्रवाई हुई, लेकिन जब देश के सत्तापक्ष के बड़े नेता, सांसद, विधायक, और यहां तक कि न्यायपालिका से जुड़े लोग अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, तो उन पर वैसी ही तेज़ी से कार्रवाई क्यों नहीं होती?

मौजूदा समय में राजनीति की भाषा का गिरता स्तर चिंताजनक है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता लगातार एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जिसमें असंसदीय शब्दों और भड़काऊ बयानों का प्रयोग किया जाता है। संसद और विधानसभाओं में अभद्र टिप्पणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादाएं धूमिल हो रही हैं।

इसके साथ ही हाल के कुछ मामलों में न्यायाधीशों के विवादास्पद बयान भी सुर्ख़ियों में रहे हैं। कुछ मामलों में वे न्यायिक भाषा की मर्यादा से परे जाकर टिप्पणी कर देते हैं, जिससे न्यायपालिका

की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब आम जनता के लिए अलग मानक तय किए जाते हैं और माननीयों के लिए अलग। बीते माह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की अमर्यादित टिप्पणी ख़ासी चर्चा में रही।

इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैमाना सबके लिए समान है? अगर आम नागरिक कोई विवादास्पद टिप्पणी करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होती है, लेकिन अगर कोई नेता, सांसद, विधायक या न्यायपालिका से जुड़ा व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो उसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इस संदर्भ में सीएम योगी और सांसद विधूड़ी के बयानों को ताज़े उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चल रही बहस को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। केवल आम नागरिकों या कलाकारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने से समाज में स्वस्थ संवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को मर्यादा में रहना होगा, जो लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं। चाहे वे नेता हों, सांसद हों या न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति हों। जब तक इस दोहरे मानदंड को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की यह बहस अधूरी ही बनी रहेगी।

लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन



यह अधिकार असीमित नहीं हो सकता। जब यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र की गरिमा, सुरक्षा और शांति को भंग करने लगता है, तब इसे स्वच्छंदता कहा जाता है, और इसी बिंदु पर क़ानूनी व नैतिक सीमाओं का निर्धारण आवश्यक हो जाता है।

स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की रेखा बहुत पतली है, लेकिन इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब यह स्वतंत्रता मर्यादा और नैतिकता की सीमाएं तोड़ने लगे, तो इसे स्वच्छंदता कहा जाएगा।

यदि नेता, न्यायाधीश और प्रभावशाली लोग स्वयं भाषा की मर्यादा बनाए रखें, तो समाज में भी स्वस्थ संवाद की संस्कृति विकसित होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी स्वतंत्रता समाज के लिए उपयोगी हो, न कि विनाशकारी।

एक ओर जहां यह अधिकार लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, वहीं दूसरी ओर इसकी सीमाओं का निर्धारण भी आवश्यक है, ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग ज़िम्मेदारी के साथ होना चाहिए।

हाल के वर्षों में देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी बयानबाज़ी में मर्यादा लांघ रहे हैं। चुनावी सभाओं में अपशब्दों का प्रयोग, विरोधियों के प्रति व्यक्तिगत हमले, और जाति-धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाने वाले बयान इस बात के प्रमाण हैं कि कई बार स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में बदल जाती है।

हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसकी सीमाओं पर समाज



में निरंतर संवाद और समझ की आवश्यकता है। न्यायपालिका, सरकार और समाज के अन्य हितधारकों को मिलकर इस संतुलन को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित रहे और समाज में शांति और सद्भाव भी बना रहे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने, अपने विचार प्रकट करने और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। परंतु व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का मापदंड अलग-अलग होता है। सत्ता में रहते हुए राजनीतिक दलों का जो दृष्टिकोण होता है, वही विपक्ष में जाने पर बदल जाता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का रवैया अक्सर दोहरा होता है। सत्ता में रहते हुए सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, जबकि विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चल रही बहस को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। केवल आम नागरिकों या कलाकारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने से समाज में स्वस्थ संवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को मर्यादा में रहना होगा, जो लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं।

दल इसकी वकालत करते हैं। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चुनौती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को सत्ता या विपक्ष के चश्मे से देखने के बजाय इसे एक मूल अधिकार के रूप में सम्मान दिया जाए और इसे सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही यह बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सार्थकता तभी बनी रह सकती है जब यह नैतिक मूल्यों से जुड़ी हो। अगर स्वतंत्रता को बिना नैतिकता और ज़िम्मेदारी के प्रयोग किया जाए, तो वह स्वच्छंदता में बदल जाती है, जो समाज में अशांति और विघटन का कारण बन सकती है। इसलिए, आज की बहस केवल स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नैतिक मूल्यों के समावेश की भी ज़रूरत है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन यदि यह नैतिकता एवं ज़िम्मेदारी की भावना से परे चली जाए, तो यह समाज के लिए घातक हो सकती है। अतः अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नफ़रत एवं अश्लीलता फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेताओं, न्यायाधीशों, मीडिया, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और आम नागरिकों, सभी को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब उसमें नैतिकता एवं ज़िम्मेदारी की भावना का समावेश हो। ■■

इन्सान अपने
घरवालों के सिलसिले में माल की
ख़रीद-फ़रोख़्त और पड़ोसियों के बारे में जो
भूल-चूक और ग़लतियाँ कर जाता है (जान-
बूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में हो जाती हैं)
तो नमाज़, रोज़ा और सदक़ा (दान-पुण्य)
उनका 'क़फ़्फ़ारा' (प्रायश्चित) बन जाएंगे।
(हदीस : बुख़ारी)

A Well Wisher

Nisar Ahmad

Kolkata [W.B.]

अभिव्यक्ति, अश्लीलता और समाज



अभिमत



प्रो. निरंजन कुमार

सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या आधुनिकता के नाम पर मूल्यों को तिलांजलि दी जा रही है? मुद्दा नैतिकता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिकता से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद ने आनलाइन कंटेंट की सीमाओं और जिम्मेदारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है, जिसके विभिन्न सांस्कृतिक, नैतिक और संवैधानिक आयाम तो हैं ही, परिवार-सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है।

जिस तरह की संस्कारहीनता और मूल्यहीनता की ओर भारतीय समाज, ख़ासतौर से युवा पीढ़ी बढ़ रही है, वह ख़तरे की घंटी है। इसका ताज़ा उदाहरण है यूट्यूब चैनल पर 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' शो में की गई अश्लील और फूहड़ टिप्पणी, जो प्रकारांतर से परिवार व्यवस्था को चुनौती देती दिखाई पड़ रही है। कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया का इस शो में 'माता-पिता के अंतरंग जीवन' पर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी तथा शो के मेजबान समय रैना और एक अन्य प्रतिभागी अपूर्वा मखीजा के बीच का अभद्र संवाद शिष्टाचार और नैतिकता की सभी सीमाओं को तार-तार करने वाला है। सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या आधुनिकता के नाम पर मूल्यों को तिलांजलि दी जा रही है? मुद्दा नैतिकता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिकता से भी जुड़ा हुआ है।

इस पूरे विवाद ने ऑनलाइन कंटेंट की सीमाओं और ज़िम्मेदारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है, जिसके विभिन्न सांस्कृतिक, नैतिक और संवैधानिक आयाम तो हैं ही, परिवार-सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। पहला तो यह कि आर्थिक लाभ के लिए सोशल मीडिया

या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर या दर्शकों की संख्या बढ़ाकर अश्लीलता, आपत्तिजनक और हिंसक सामग्री बेचे जा रहे हैं। इसके लिए लोग किसी भी हद को तोड़ने के लिए तैयार हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी फूहड़ और अश्लील सामग्रियों की भरमार है, जो किशोरों और युवाओं को अपनी गिरफ़्त में ले रहे हैं।

पूरे प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि अधिकांश सामग्रियां पश्चिमी समाज और संस्कृति की नक़ल या उनसे उधार लेकर परोसी जा रही हैं। 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' का विवादित शो इसका ताज़ा उदाहरण है। इसमें जो सवाल उठाया



गया है, ठीक वही प्रश्न एक अंतरराष्ट्रीय शो में एक आस्ट्रेलियाई कॉमेडियन ने पूछा था। रणवीर ने हू-ब-हू उसकी नक़ल की है। बताने की आवश्यकता नहीं कि पश्चिमी समाज-संस्कृति भारतीय मूल्य-परंपरा से अलग वैयक्तिकतापरक समाज है, जो परिवार, नैतिकता और मर्यादा के बंधनों को उतना नहीं मानता, जितना भारत के लोग मानते हैं।

पश्चिम में भोग और भौतिकता सर्वोपरि है। प्रश्न है कि क्या हम इसी तरह के भारत के निर्माण की परिकल्पना करते हैं? आक्रोशित वर्ग सेंसर की बात कर रहा है, जबकि कुछ लोग स्व-नियमन (सेल्फ़-रेगुलेशन) का सुझाव दे रहे हैं।

दरअस्ल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता, विकृति या अपसंस्कृति को सामान्य या 'कूल' कहने के प्रयास लंबे समय से हो रहे हैं। दुर्भाग्य से किशोर और युवा पीढ़ी धीरे-धीरे इनके जाल में फंसती जा रही है। यह अनायास नहीं कि ऐसे ख़तरनाक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के फॉलोअर्स लाखों-करोड़ों की संख्या पार कर रहे हैं। लेकिन इनमें ज़िम्मेदारी की कोई भावना नहीं है। इस घृणित टिप्पणी पर उन्हें ज़ोरदार तालियां मिलना चिंता की बात है। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि माता-पिता के प्रति जो सम्मान-सेवा का भाव होता है, भाई-बहन का जो प्रेम होता है या परिवार में एक सौहार्द और उदात्त वातावरण होता है, उसे ऐसी सामग्री और कथ्य ध्वस्त कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था, जो भारतीय समाज-संस्कृति की आधारशिला और सबसे बड़ी शक्ति रही है, उस पर आज अनजाने या जान-बूझकर एक षड्यंत्र के तहत चोट हो रही है। समय आ गया है कि डिजिटल माध्यमों से परोसी जा रही सामग्री की कड़ी निगरानी की जाए। इसके लिए सीमाएं तय करनी ही होंगी।

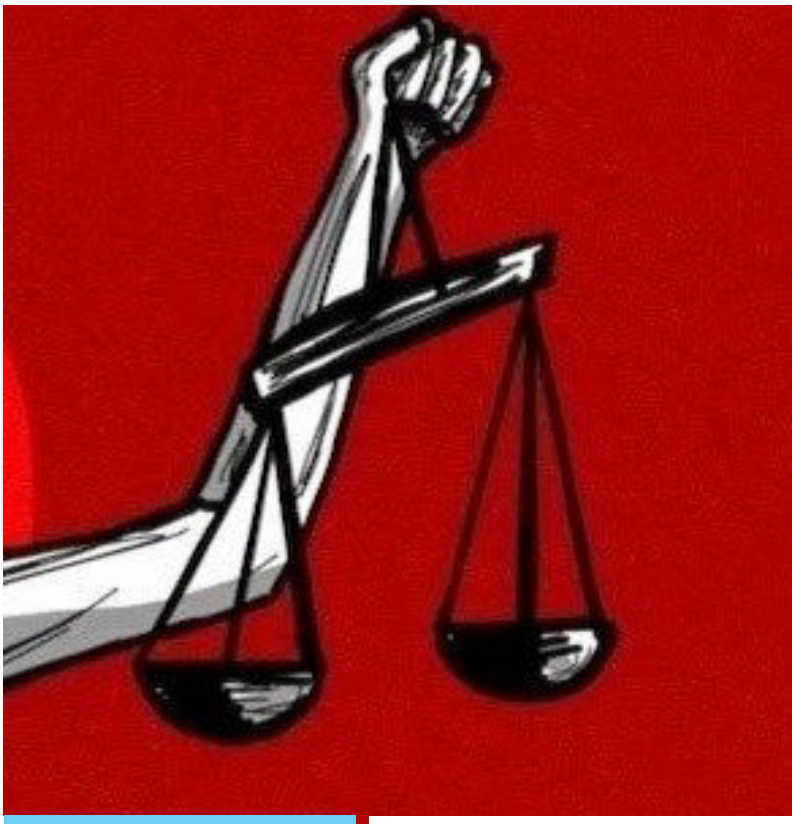
इस मामले में जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का धूर्ततापूर्ण सवाल उठा रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत

न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि आनलाइन सामग्री पर तत्काल कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी सामग्रियों के प्रसार को रोका सके, जो भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के साथ संतुलित रखना आवश्यक है। साथ ही, न्यायालय ने चेताया कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को अनियंत्रित छोड़ा गया तो यह एक खतरनाक उदाहरण स्थापित करेगा और नैतिक व सामाजिक मूल्यों के पतन को और प्रोत्साहित करेगा।

'शिष्टाचार या नैतिकता' के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से अश्लीलता, अनैतिकता और सामाजिक मर्यादा से जुड़े मामले में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रंजन द्विवेदी बनाम भारतसंघ वाद (2017) में कहा भी है कि अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन ज़रूरी है। सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह पाबंदी फ़िल्म, साहित्य, कला और सोशल मीडिया पर भी लागू होती है।

सर्वोच्च न्यायालय लगातार कहता रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक तो है, लेकिन इसका दुरुपयोग नफ़रत फैलाने वाले भाषण, मानहानि, अश्लीलता या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने रणवीर इलाहाबादिया के ख़िलाफ़ मामले की सुनवाई के दौरान भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी को भी अश्लीलता या ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने की असीमित छूट मिल जाए, जो समाज के नैतिक मूल्यों को गिराने का काम करे।

न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा है कि ऑनलाइन सामग्री पर तत्काल कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी सामग्रियों के प्रसार को रोका जा सके, जो भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करती हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के साथ संतुलित रखना आवश्यक है।



सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह पाबंदी फिल्म, साहित्य, कला और सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय लगातार कहता रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक तो है, लेकिन इसका दुरुपयोग नफरत फैलाने वाले भाषण, मानहानि, अश्लीलता या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही, न्यायालय ने चेताया कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को अनियंत्रित छोड़ा गया तो यह एक ख़तरनाक उदाहरण स्थापित करेगा और नैतिक व सामाजिक मूल्यों के पतन को और प्रोत्साहित करेगा।

निस्संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नैतिक पतन और सांस्कृतिक गिरावट को सही ठहराने या उसका कुप्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संस्कारहीनता, मूल्यहीनता और अपसंस्कृति की छूट नहीं दी जा सकती। पारिवारिक संबंधों, परिवार की मर्यादा और सामाजिक स्थायित्व को बनाए रखना भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए तो ज़रूरी है ही, एक सच्चे और संस्कारयुक्त विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। ■■

(साभार : www.panchjanya.com)

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

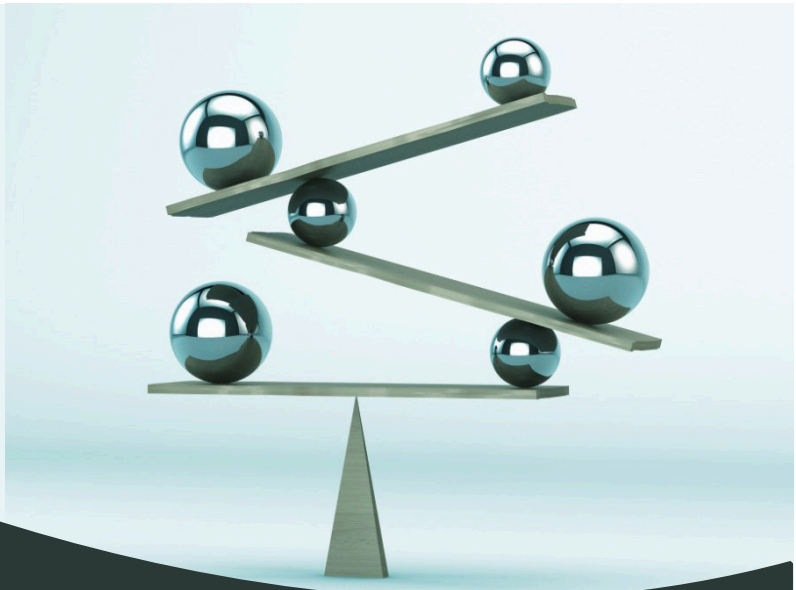
(9818799223)

ज़रूर भेजें।

समाधान



लुबना सबूब



सर्वोपरि हो संतुलन की सुनिश्चितता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क़ानून का शासन—ये दोनों ही किसी भी लोकतांत्रिक समाज के दो मूलभूत स्तंभ हैं। एक ओर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को अपने विचार, भावनाएं और असहमति व्यक्त करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी ओर, क़ानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता की सीमाओं के भीतर किया जाए।

मूल प्रश्न

यदि केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लेकिन क़ानून का शासन न हो, तो अराजकता फैल सकती है। दूसरी ओर, यदि क़ानून का शासन हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबा दी जाए, तो तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए इन दोनों का संतुलन आवश्यक है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। जब यह स्वतंत्रता नफ़रत, हिंसा या अश्लीलता फैलाने का माध्यम बन जाती है, तो यह समाज की शांति और सद्भावना को नुक़सान पहुंचा सकती है।

एक ओर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को अपने विचार, भावनाएं और असहमति व्यक्त करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी ओर, कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता की सीमाओं के भीतर किया जाए।

संविधान भी यही कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है—यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे पहलुओं से बंधी हुई है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह समाज में नफ़रत, भेदभाव या अश्लीलता को बढ़ावा दे।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और मतों को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन जब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है और इसे नफ़रत फैलाने या अश्लीलता के प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रत्येक नागरिक को विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार

दिया गया है। हालांकि, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और इसके साथ कुछ नैतिक और क़ानूनी बाध्यताएं भी जुड़ी होती हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ संवाद और विचार-विमर्श आवश्यक होता है। इससे जनता को अपने विचार व्यक्त करने और शासन से जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है।

जब व्यक्ति को अपने विचार साझा करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो इससे साहित्य, कला, विज्ञान और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद की है। किसी भी समाज की रीढ़ होती है, जो व्यक्तियों को सोचने, बोलने और बदलाव लाने का अवसर प्रदान करती है। इसका सम्मान और सही दिशा में उपयोग करना हम सभी की ज़िम्मेदारी है, ताकि समाज में स्वतंत्रता और न्याय क़ायम रह सके।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं

हालांकि, यह स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध निम्नलिखित कारणों से लगाए जा सकते हैं :

1. राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता: किसी भी प्रकार के ऐसे भाषण या अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती जो देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा बने या संप्रभुता को प्रभावित करे।

2. सार्वजनिक व्यवस्था : यदि कोई अभिव्यक्ति समाज में हिंसा या अशांति फैलाने का कार्य करती है, तो उस पर क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

3. नैतिकता और शालीनता : अभिव्यक्ति के नाम पर अश्लीलता या अनैतिक सामग्री को बढ़ावा देना उचित नहीं है। भारत में यह सिनेमा, मीडिया और अन्य प्रकाशनों पर लागू होता है।

4. नफ़रत और भेदभाव फैलाना: किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा या अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर नफ़रत फैलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

यदि केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लेकिन कानून का शासन न हो, तो अराजकता फैल सकती है। दूसरी ओर, यदि कानून का शासन हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबा दी जाए, तो तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए इन दोनों का संतुलन आवश्यक है।

5. न्यायालय की अवमानना: किसी भी न्यायालय के निर्णयों की अवमानना करना या न्यायपालिका के प्रति असम्मान प्रकट करना भी प्रतिबंधित है।

नफ़रत और अश्लीलता पर नियंत्रण की आवश्यकता

वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते प्रभाव के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। फेक न्यूज़, नफ़रत फैलाने वाले भाषण और अपमानजनक टिप्पणियां समाज में अराजकता उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे मामलों में सरकार और समाज को मिलकर एक संतुलन स्थापित करना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो। किसी भी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता के नाम पर समाज में नफ़रत, हिंसा या अश्लीलता फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संघर्ष और संतुलन

कई बार धार्मिक एवं नैतिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करता है, जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तब यह एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।

इस टकराव को संतुलित करने के लिए :

1. ज़िम्मेदारीपूर्ण अभिव्यक्ति– विचार व्यक्त करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह समाज में विद्वेष न फैलाए।

2. धार्मिक सहिष्णुता – सभी को दूसरों की धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए।

3. क़ानूनी रूप-रेखा – सरकारों को ऐसे क़ानून बनाने चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकें।

4. संवाद और समन्वय – विभिन्न समुदायों को आपसी संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान निकालना चाहिए।

धार्मिक एवं नैतिक मूल्य और अभिव्यक्ति

धार्मिक और नैतिक मूल्य किसी

भी समाज की नींव होते हैं, जो लोगों के आचार-व्यवहार, सोच और जीवन-शैली को प्रभावित करते हैं। वहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और मतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। धार्मिक एवं नैतिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। एक ओर जहां नैतिक मूल्य समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखते हैं, वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बौद्धिक विकास और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित करती है।

इस्लामी शिक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस्लाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसके साथ नैतिकता, सत्यता और समाज की भलाई की शर्तें जोड़ी गई हैं। क़ुरआन और हदीस के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन उसे झूठ, अपमान, नफ़रत और अन्याय फैलाने की अनुमति नहीं है।

1. सत्य और न्याय की बात करना : इस्लाम में सत्य की बात करना अनिवार्य बताया गया है। क़ुरआन (सूरह अल-अहज़ाब 33:70) में कहा गया है: "ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो।"

2. नफ़रत और अपमान से बचना : इस्लाम में किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति के प्रति नफ़रत और अपमानजनक भाषा का प्रयोग वर्जित है। हदीस में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा है : "जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वह अच्छी बात कहे या फिर चुप रहे।"

(सहीह बुख़ारी)



3. अश्लीलता और अनैतिकता का निषेध : इस्लाम में अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने से मना किया गया है। क़ुरआन (सूरह अन-नूर 24:19) में कहा गया है : "जो लोग ईमान वालों के बीच अश्लीलता फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा है।"

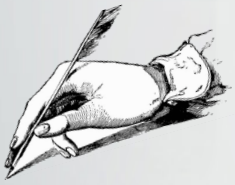
4. संतुलन और संयम की आवश्यकता : इस्लामिक शिक्षाओं में संतुलित अभिव्यक्ति की आवश्यकता बताई गई है ताकि समाज में सौहार्द बना रहे और किसी को भी नुक़सान न पहुंचे।

इस्लामी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि व्यक्ति को अपनी बात संयम, सत्य और सद्भाव के साथ रखनी चाहिए। हमें अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समाज के हित में हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखना ही एक सभ्य समाज की पहचान है।

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बेहद मूल्यवान अधिकार है, लेकिन इसके साथ ज़िम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। यदि इसका उपयोग नफ़रत और अश्लीलता के प्रसार के लिए किया जाता है, तो यह समाज को विघटन और नैतिक पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए इसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीक़े से उपयोग करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ■■

(लेखिका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं)



कविता

अभिव्यक्ति

राजेश कौरव 'सुमित्र'

अभिव्यक्ति की आज़ादी है,
जो चाहो सो बोलो।
पर वाणी की भी मर्यादा है,
ज़हर न उसमें घोलो।
मीठी भाषा में कह सकते,
अच्छे हो या बुरे विचार।
गंदी भाषा बोलकर,
होता स्वयं का उपहास।
भाषा होती व्यैक्तिव दर्पण,
सोच समझकर बोलो।
पर वाणी की भी मर्यादा है,
ज़हर न उसमें घोलो।।
मीठे बोल बोल भिखारी,
करते गुज़र बसेरा।
तीखी भाषा बोलने पर,
दुत्कार मिलती है घेरा।
शालीनता यदि हो वाणी में,
शत्रु भी मित्रवत हो जाता।
जुमलेबाज़ी भाषा हो अगर,
अपनो से महाभारत हो जाता।
अंधों के अंधे कहने पर,
कौरव पांडव में युद्ध हुआ।
जो अच्छी न लगे बात हमें,
बोलने के पहले तौलो।
पर वाणी की भी मर्यादा है,
ज़हर न उसमें घोलो।
मीठी-मीठी वाणी से,
कोयल सभी को भाती।
कर्कश वाणी कौआ की,
किसी को नहीं सुहाती।
मृदुभाषी प्रशंसा पाता,
वाणी होती है अनमोल।
प्रभू का वरदान है वाणी,
कुछ का कुछ मत बोल।
फूहड़ता शोभा नहीं पाती,
तौल तौल कर ही बोलो।
पर वाणी की भी मर्यादा है,
ज़हर न उसमें घोलो।

समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार



परीक्षा-आधारित नहीं, ज्ञान-आधारित हो शिक्षा प्रणाली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह क़दम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफ़ारिशों के अनुरूप उठाया गया है। प्रश्न उठता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा ?

शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न नीतियां लागू की जाती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि छात्रों को एक वर्ष में दो बार परीक्षा देने का अवसर मिले। यह प्रस्ताव विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में अधिक चर्चा में है। प्रश्न उठता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह क़दम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफ़ारिशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करना और उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

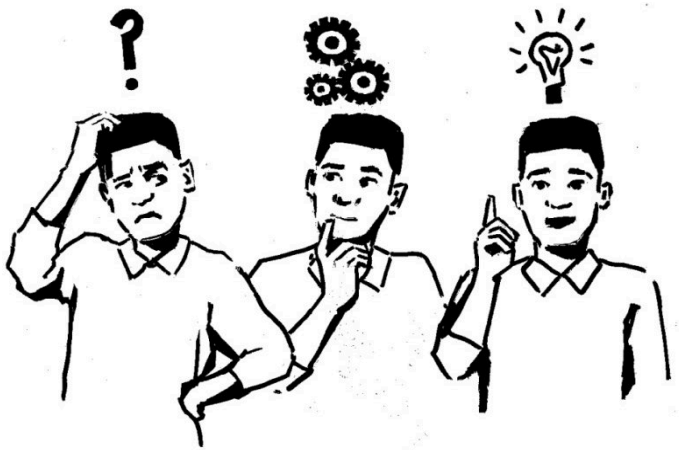
दोनों परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी, और छात्रों को दोनों में शामिल होने का विकल्प होगा। यदि कोई छात्र दोनों परीक्षाएं देता है, तो उसके बेहतर प्रदर्शन वाले अंक अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे।

दोनों परीक्षाओं के लिए छात्रों को एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ आवेदन के समय ही जमा करना होगा। प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार, दिसंबर-जनवरी में, आयोजित किए जाएंगे।

कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यह क़दम छात्रों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी कमज़ोरियों को पहचानकर सुधार करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। हालांकि, कुछ का यह भी मानना है कि इससे शिक्षकों और विद्यालयों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ सकता है। शिक्षा प्रणाली

में परीक्षाएं छात्रों के ज्ञान, समझ और दक्षता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कई बार, विभिन्न कारणों से छात्रों को एक ही परीक्षा दोबारा देने का अवसर मिलता है। यह एक विवादास्पद विषय है–कुछ लोग इसे सही मानते हैं, तो कुछ ग़लत।

दो बार परीक्षा देने के पक्ष में तर्क है कि दूसरा अवसर मिलने से छात्रों का न्यायसंगत मूल्यांकन होगा । कई बार, छात्र पहली बार परीक्षा देते समय किसी व्यक्तिगत समस्या, मानसिक तनाव, या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपना



सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलने से उन्हें अपनी वास्तविक योग्यता दिखाने का एक और मौक़ा मिलता है।

दूसरा तर्क यह है कि छात्रों को सीखने और सुधार का अवसर मिलेगा। जब छात्रों को पहली बार की परीक्षा में ग़लतियों का एहसास होता है, तो वे उन्हें सुधारने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। इससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। एक और बात जो इसके पक्ष में तर्क के रूप में कही जा रही है वो यह है कि इससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । कई छात्र अत्यधिक दबाव के कारण पहली बार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यदि उन्हें दोबारा अवसर मिले, तो वे अधिक आत्म-विश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव कम हो सकता है।

दो बार परीक्षा के विरोध में जो सबसे मज़बूत तर्क है वो यह है कि इससे शिक्षा प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। एक ही परीक्षा को दो बार आयोजित करने से प्रशासनिक, आर्थिक और संसाधनों की दृष्टि से शिक्षा प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इससे छात्रों की आदत बिगड़ सकती है। यदि छात्रों को बार-बार परीक्षा देने की सुविधा दी जाए, तो वे पहली बार में गंभीरता से प्रयास करने के बजाय दूसरी परीक्षा पर निर्भर होने लग सकते हैं, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ सकती है।

कुछ परीक्षाएं, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं, छात्रों की त्वरित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को परखती हैं। यदि बार-बार परीक्षा देने की सुविधा दी जाए, तो यह प्रतिस्पर्धा की भावना को कम कर सकता है और वास्तविक प्रतिभा की पहचान कठिन हो सकती है।

इस संबंध में जानकारों की राय है कि इसमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, यह विषय न तो पूर्णतः सही है और न ही पूर्णतः ग़लत। इसका समाधान एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में है, जिसमें कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है :

केवल विशेष परिस्थितियों (स्वास्थ्य समस्याएं , तकनीकी बाधाएं, प्रश्न-पत्र लीक, आदि) में ही दोबारा परीक्षा की अनुमति दी जाए। पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों के अंकों की गणना में कुछ विशेष नियम लागू किए जाएं, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। शिक्षा प्रणाली को इस तरह विकसित किया जाए कि पहली बार में ही निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा हो, जिससे दोबारा परीक्षा की आवश्यकता ही न पड़े।

"दो बार परीक्षा – सही या ग़लत?" का उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि इसे न्यायसंगत तरीक़े से लागू किया जाए, तो यह छात्रों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसका अनुचित लाभ उठाया जाए, तो यह शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और शिक्षा का स्तर ऊंचा बना रहे। हालांकि यह ज़रूरी था कि इस प्रणाली को लागू करने से पहले इसकी संभावित चुनौतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

यह विडंबना ही है कि आज की शिक्षा प्रणाली में परीक्षा को ही छात्र की योग्यता का पैमाना माना जाता है। अंक और ग्रेड ही तय करते हैं कि कौन छात्र होशियार है और कौन नहीं, लेकिन क्या यह सही तरीक़ा है? शिक्षा का अस्ली उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित करना होना चाहिए। यदि हम

परीक्षा के बजाय ज्ञान को प्राथमिकता दें, तो न केवल छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि समाज भी अधिक सृजनशील और कुशल बनेगा।

परीक्षाएं आमतौर पर एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होती हैं और अक्सर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, न कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परिणामस्वरूप, वे परीक्षा के बाद उस विषय को भूल जाते हैं।

किसी विषय का गहन ज्ञान और उसे व्यावहारिक रूप से समझना, परीक्षा में प्राप्त अंकों से कहीं अधिक मूल्यवान है। ज्ञान व्यक्ति के सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है।

परीक्षा प्रणाली में छात्रों को अक्सर केवल याद करने और लिखने पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि आज के प्रतिस्पर्धी युग में समस्या समाधान (Problem Solving), रचनात्मकता (Creativity), तार्किक सोच (Logical Thinking) और संचार कौशल (Communication Skills) अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि शिक्षा प्रणाली ज्ञान और कौशल पर केंद्रित हो, तो छात्र व्यावहारिक रूप से अधिक सक्षम बन सकते हैं।

अतः ज्ञान-आधारित शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा (Practical Learning) शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और अनुभवात्मक बनाया जाना चाहिए। केवल पुस्तकों से पढ़ाने के बजाय, प्रयोगशालाओं, प्रोजेक्ट्स, कार्यशालाओं (Workshops), और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से पढ़ाई कराई जाए। छात्रों को केवल उत्तर रटाने



के बजाय प्रश्न पूछने और सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वे विषयों को गहराई से समझ पाएंगे।

आज के युग में केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी कौशल भी महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को तकनीक, कोडिंग, संचार, नेतृत्व और रचनात्मकता जैसी क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए। परीक्षा के अलावा छात्रों के प्रदर्शन को परखने के लिए प्रोजेक्ट, समूह चर्चा, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जैसे तरीक़ों को अपनाया जाए। इससे उनकी अस्ली प्रतिभा को पहचाना जा सकेगा।

इसके साथ ही शिक्षकों की भूमिका में भी बदलाव की ज़रूरत है। शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक (Mentor) की भूमिका निभाएं। वे छात्रों को विषयों को समझने और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करें।

परीक्षा सिर्फ़ एक तरीक़ा है, लेकिन शिक्षा का अस्ली उद्देश्य व्यक्ति को जागरूक, तार्किक और आत्म-निर्भर बनाना होना चाहिए। यदि हम शिक्षा प्रणाली को ज्ञान-आधारित बनाएं, तो न केवल छात्र, बल्कि पूरा समाज लाभान्वित होगा। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा के बजाय ज्ञान और कौशल पर अधिक ध्यान दे, तो छात्र केवल अच्छे अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से सीखने के लिए पढ़ाई करेंगे।

अगर हम शिक्षा प्रणाली में कुछ सकारात्मक बदलाव करें, तो ज्ञान को अधिक महत्व दिया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए, तो शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि एक सच्चा सीखने का अनुभव बनेगी। छात्रों के लिए सीखना एक बोझ नहीं, बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन सकता है।

किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने में समय लगता है, ख़ासकर शिक्षा प्रणाली जैसी संरचना में, जहां कई कारक जुड़े होते हैं–शिक्षक, छात्र, अभिभावक, सरकार और शिक्षा नीति निर्माता, लेकिन छोटे-छोटे बदलावों से भी शुरुआत हो सकती है–जैसे कि स्कूलों में प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना, शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षित करना और छात्रों को सिर्फ़ अंकों की बजाय कौशल व ज्ञान विकसित करने के लिए प्रेरित करना। सीखने के प्रति रुचि विकसित करना ही अस्ली शिक्षा की कुंजी है। जब छात्र ख़ुद सीखने के लिए उत्सुक होंगे, तो वे परीक्षा से परे जाकर ज्ञान अर्जित करेंगे। ■■

भाषा की राजनीति या राजनीति की भाषा ?

मंथन



जितेंद्र गौतम

भाषा पर राजनीति इन दिनों बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने और प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया था। हाल में ही उर्दू को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्म हो गई थी। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मराठी को लेकर सियासत गरमा गई है। संघ के नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान सुर्ख़ियों में है कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहरी लोगों और अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना और सीखना चाहिए। जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं।

कोई दो मत नहीं कि महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी को राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। यहां की राजनीतिक अस्मिता इसी से तय होती है। मगर यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। लोग एक से दूसरे राज्य में रोज़ी-रोटी के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा-बोली भी साथ लेकर जाते हैं। हर राज्य में भाषा का सौंदर्य इसी से समृद्ध होता है। इसका उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं।

> **कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने और प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया था। हाल में ही उर्दू को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्म हो गई थी। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मराठी को लेकर सियासत गरमा गई है।**

सवाल है कि संघीय ढांचे में रहते हुए हम यह कैसे कह सकते हैं कि दूसरे राज्य से आया व्यक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित प्रदेश की भाषा बोले और सीखे? निस्संदेह मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। वहीं मुंबई कई संस्कृतियों और विविध पहचान वाला शहर है। यहां प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। क्या यह राजनीति इसी वजह से है? भैया जी जोशी ने बेशक सफ़ाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान पर विवाद थमा नहीं। वे अपने ही बयान को लेकर जिस तरह दोहरी स्थिति में हैं, उससे लगता है कि मराठी बनाम ग़ैर-मराठी की राजनीति को हवा दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाकर उन्हें घेरा है महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट हो गए।

एक भाषा को संरक्षण तभी मिलता है, जब हम दूसरे लोगों की भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। भाषा की जड़ें सामाजिक व्यवहार और सद्भाव से ही निर्धारित

होती है, विवाद से नहीं। भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की आधारशिला होती है। यह केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और परंपराओं की अभिव्यक्ति का साधन भी है। जब भाषा को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह समाज में विभाजन, संघर्ष और सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय भाषाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना विकसित की जा सके। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, भाषा को लेकर राजनीति शुरू हो गई, विशेष रूप से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच विवाद सामने आए।

स्वतंत्रता के बाद, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास हुए, लेकिन दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु, में इसका कड़ा विरोध हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही अंग्रेज़ी को संपर्क भाषा बनाए रखा गया।

स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात हिंदी और उर्दू के बीच विवाद राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर उभरा। ब्रिटिश शासन के दौरान उर्दू और हिंदी के बीच लिपि का विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। विभाजन के बाद, उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, जबकि भारत में इसे एक प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता दी



भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की आधारशिला होती है। यह केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और परंपराओं की अभिव्यक्ति का साधन भी है। जब भाषा को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह समाज में विभाजन, संघर्ष और सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

गई। हाल के दशकों में, उर्दू के संरक्षण और उसके अधिकारों को लेकर कई आंदोलन हुए हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में।

विभिन्न राजनीतिक दल भाषा को एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं। किसी विशेष भाषा को बढ़ावा देना या दूसरी भाषा का विरोध करना, जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का एक साधन बन गया है। हाल ही में, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाए जाने के प्रस्ताव ने भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न की हैं।

शिक्षा में भाषा का प्रश्न भी राजनीतिक बहस का विषय रहा है। कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में अंग्रेज़ी को प्रमुखता दी जाती है। उर्दू माध्यम के विद्यालयों की घटती संख्या भी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

वैश्वीकरण के प्रभाव और आधुनिक युग में रोज़गार के अवसरों को

देखते हुए, अंग्रेज़ी को एक प्रमुख भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन कई भारतीय भाषाओं के समर्थक इसे सांस्कृतिक अस्मिता पर ख़तरे के रूप में देखते हैं। वर्तमान में, सरकारी परीक्षाओं और न्यायिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की मांग उठ रही है।

भारत में डिजिटल क्रांति के कारण इंटरनेट पर हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं की उपस्थिति बढ़ी है। हाल ही में, कई सरकारी योजनाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं को अपनाने लगे हैं, जिससे इनका महत्त्व बढ़ रहा है।

भाषाई राजनीति कभी-कभी क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में विभाजन पैदा होता है। हिंदी और उर्दू को सांप्रदायिक नज़रिए से देखने की प्रवृत्ति भी भाषा की राजनीति को जटिल बना देती है।

जब भाषाई विवाद अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तो वे प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही किसी एक भाषा को बढ़ावा देने से अन्य भाषाओं और उनकी साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन में कठिनाइयां आ सकती हैं।

निजी क्षेत्र में अंग्रेज़ी का प्रभाव अधिक होने के कारण क्षेत्रीय भाषा में पढ़े लोगों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयां होती हैं। वहीं, सरकार द्वारा कुछ परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय संतुलन बना रहता है।

अतः ज़रूरी है कि सभी भाषाओं को समान रूप से महत्व दिया जाए और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं। स्कूली शिक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को अपनी



भाषा पर राजनीति एक संवेदनशील विषय है, जो समाज की संरचना और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकता है। आवश्यक है कि भाषा को सशक्तिकरण और विकास का माध्यम बनाया जाए, न कि विभाजन और संघर्ष का उपकरण।

मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी सशक्त किया जाए। भाषा को केवल सांस्कृतिक और संचार के साधन के रूप में देखा जाए, न कि राजनीतिक हथियार के रूप में।

अंग्रेज़ी की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही भारतीय भाषाओं की समृद्धि और उनकी महत्ता को भी बनाए रखना आवश्यक है। इंटरनेट और तकनीक आधारित प्लेटफार्मों पर भारतीय भाषाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन और नीतियां लागू की जाएं। उर्दू साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी प्रयासों को मज़बूत किया जाए।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाषा पर राजनीति एक संवेदनशील विषय है, जो समाज की संरचना और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकता है। आवश्यक है कि भाषा को सशक्तिकरण और विकास का माध्यम बनाया जाए, न कि विभाजन और संघर्ष का उपकरण। वर्तमान में, डिजिटल माध्यमों, शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियों में भारतीय भाषाओं को स्थान देने की आवश्यकता बढ़ रही है। हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सभी भाषाओं को समान सम्मान देना ही एक सशक्त और संगठित समाज की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। ■■



रोज़े और ईद का पैग़ाम

रमज़ान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें रोज़े (उपवास) रखे जाते हैं। इस महीने के अंत में ईदुल-फ़ितर का त्योहार मनाया जाता है, जो ख़ुशी, भाईचारे और इबादत का प्रतीक है। रोज़े और ईद केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रकट करने वाले पर्व हैं। रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखने के बाद जब ईद आती है, तो यह ख़ुशी और उत्सव का अवसर होता है। इस दिन विशेष नमाज़ अदा की जाती है, ज़कात (दान) दिया जाता है, और परिजनों व मित्रों के साथ मिलकर उत्सव मनाया जाता है।

रोज़े का महत्व

रमज़ान के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखा जाता है। इस दौरान वे न केवल भोजन और पानी से परहेज़ करते हैं, बल्कि बुरी आदतों, क्रोध और नकारात्मक विचारों से भी बचते हैं। रोज़े का मुख्य उद्देश्य आत्मसंयम, धैर्य और सहनशीलता को विकसित करना है। यह व्यक्ति को आत्म-निरीक्षण करने, अपनी बुरी आदतों को सुधारने और ईश्वर के प्रति समर्पण का अभ्यास करने का अवसर देता है।

विशेष



तबाना नूरी

रोज़े के संदेश

1. संयम और आत्म-अनुशासन–रोज़ा हमें सिखाता है कि जीवन में संयम रखना कितना आवश्यक है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति अपने चरित्र को मज़बूत कर सकता है।

2. समानता और भाईचारा–रोज़ा रखने से हर व्यक्ति को भूख और प्यास का अनुभव होता है, जिससे वह ग़रीबों और ज़रूरतमंदों की स्थिति को समझ सकता है। इससे समाज में दया और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है।

3. आध्यात्मिक शुद्धि–यह आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीक़ा है, जिससे व्यक्ति नकारात्मकता से दूर होकर आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकता है।

4. स्वास्थ्य लाभ–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने में मदद करता है।

ईद का संदेश

1. ख़ुशी और कृतज्ञता–ईद हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में मिली हर नेमत के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।

2. सहयोग और परोपकार–यह त्योहार हमें ग़रीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है। ईद से पहले ज़कात और फ़ितरा देने की परंपरा हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने

का संदेश देती है।

3. प्रेम और भाईचारा–ईद लोगों को जोड़ने और प्रेम व सौहार्द बढ़ाने का अवसर है। यह पर्व परिवार, दोस्तों और समाज के सभी लोगों को एक साथ लाता है।

4. क्षमाशीलता–ईद का दिन क्षमा करने और आपसी मनमुटाव को भुलाने का अवसर भी होता है। यह एक नई शुरुआत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है।

रोज़े और ईद केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने और समाज में शांति, प्रेम और सहयोग को बढ़ाने का संदेश देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि आत्म-संयम, परोपकार और प्रेम के साथ जीवन को जिया जाए। इसलिए, इन पवित्र अवसरों को केवल उत्सव के



रूप में नहीं, बल्कि एक महान संदेश के रूप में अपनाना चाहिए।

रोज़ा और ईद केवल धार्मिक रीति-रिवाज नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक संदेश छिपे होते हैं। इन परंपराओं की सार्थकता को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है–

1. आध्यात्मिक सार्थकता

रोज़े के माध्यम से व्यक्ति आत्म-संयम और धैर्य का अभ्यास करता है, जिससे वह ईश्वर के क़रीब आता है।

यह आत्म-निरीक्षण और आत्म-शुद्धि का अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की कमज़ोरियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकता है।

ईद कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का दिन है, जब इंसान अपने

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH
True Success Both Worlds

अल फलाह

हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

जीवन में मिली नेमतों के लिए ईश्वर का शुक्रगुज़ार होता है।

2. नैतिक और व्यक्तिगत विकास

रोज़ा हमें इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है, जिससे आत्म-अनुशासन विकसित होता है। यह क्रोध, ईर्ष्या और बुरी आदतों से बचने की प्रेरणा देता है, जिससे व्यक्ति का चरित्र और नैतिकता मज़बूत होती है।

ईद प्रेम, क्षमा और सौहार्द का प्रतीक है, जो हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बनने की प्रेरणा देता है।

3. सामाजिक सार्थकता

रोज़ा समाज में समानता का संदेश देता है, क्योंकि अमीर-ग़रीब सभी को भूख और प्यास का समान अनुभव होता है। इससे समाज में दयालुता और करुणा की भावना जाग्रत होती है।

ईद से पहले ज़कात और फ़ितरा देने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि समाज के ज़रूरतमंदों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है।

यह पर्व लोगों को जोड़ने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है।

4. शारीरिक और मानसिक लाभ

रोज़ा रखने से न केवल आत्म-संयम बढ़ता है, बल्कि यह शरीर को भी स्वस्थ रखता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर डिटॉक्स होता है।

मानसिक रूप से, यह व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प की शक्ति प्रदान करता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक गुण हैं।

रोज़े और ईद का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म-विकास, सामाजिक सहयोग और



आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इनकी सार्थकता इस बात में निहित है कि वे हमें संयम, परोपकार, प्रेम और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएँ, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज में भी शांति, सौहार्द और मानवता की भावना प्रबल होगी।

रोज़ा और ईद न केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए भी गहरी उपयोगिता और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये पर्व आत्म-संयम, परोपकार, भाईचारे और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देते हैं, जो किसी भी समाज और संप्रदाय के लिए प्रासंगिक हैं।

रोज़ा और ईद केवल इस्लाम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सम्पूर्ण मानवता के लिए उपयोगी हैं। आत्म-संयम, परोपकार, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत सभी के लिए आवश्यक हैं। यदि लोग इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो समाज में शांति, समरसता और मानवता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, इन त्योहारों को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि मानवता को एक नई दिशा देने वाले संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि मनुष्य इनसे मिली सीख को अपने जीवन में अपनाए, तो समाज अधिक शांतिपूर्ण, दयालु और सद्भावपूर्ण बन सकता है।

रोज़े और ईद हमें आत्म-संयम, परोपकार, समानता, प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। यदि सम्पूर्ण मानवता इन शिक्षाओं को अपनाए, तो समाज से बहुत-सी समस्याएं दूर हो सकती हैं और दुनिया अधिक सुखद और न्यायपूर्ण बन सकती है। यह केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मूल्यवान संदेश है, जिसे अपनाने से हर व्यक्ति और समाज का उत्थान हो सकता है।

अगर प्रत्येक मनुष्य रोज़े और ईद के संदेशों को आत्मसात करे—संयम, परोपकार, प्रेम, समानता, कृतज्ञता और विश्वशांति—तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि संपूर्ण समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इन मूल्यों को अपनाकर ही हम एक सुंदर, प्रेममय और न्यायसंगत विश्व की रचना कर सकते हैं। ■■

आदर्श आर्थिक व्यवस्था से दूरी का परिणाम



अर्थशास्त्र मानव जीवन का महत्वपूर्ण बिन्दु है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जिसमें मनुष्यों की ज़रूरतों और उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है वो जितना चाहे उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण भी सरकार के हाथ में नहीं होता। बल्कि मूल्यों का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है।

पूंजीवाद जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली के रूप में प्रचलित है वह संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण के लिए ज़िम्मेदार है। पूंजीवादी व्यवस्था सिद्धांतों और व्यावहारिकता में पूर्ण रूप से ब्याज पर आधारित व्यवस्था है

आर्थिकी



मुहम्मद सिकन्दर

जिसके कारण मानवीय मूल्यों से अधिक धन संसाधन लोगों के ध्यान का केन्द्र बनते हैं। समाज की आवश्यकताओं को सौहार्दपूर्ण पूरा करना इस व्यवस्था के उद्देश्यों में ही शामिल नहीं है। अगर ग़रीबी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक तरफ़ ग़रीबी और दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है, जिसने कभी न पटने वाली खाई का रूप धार रखा है।

साम्यवाद को परिभाषित करते समय इस बात का दावा किया गया था कि यह किसी भी देश के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। साम्यवाद एक आदर्श समाज और सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने में न केवल सहायक होगा, बल्कि इस उद्देश्य में सफल भी होगा। सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार उत्पादन पर समाज के हर व्यक्ति का समान अधिकार



होगा। लोगों का हरेक चीज़ पर समान अधिकार होगा, समानता के आधार पर सारी सुख-सुविधाओं के वितरण की यह सैद्धांतिक अवधारणा व्यावहारिक रूप से सफल सिद्ध न हो सकी, और धीरे-धीरे साम्यवाद की लोकप्रियता कम होती चली गयी।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (mixed economy) ने पुंजीवाद और साम्यवाद की कुछ बड़ी समस्याओं को हल किया है, लेकिन वृहद्ध स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए इसके अन्दर नैतिक आधार की कमी पायी जाती है। वर्तमान समय में देखा जाये तो मूल रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं दोनों एक ही स्थान पर खड़ी दिखायी देती हैं। अमेरिका, भारत, रूस और चीन समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और साम्यवाद की संयुक्त विचारधाराओं पर चल रही है। जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की सहकारिता से उत्पादन और सेवाएं प्रदान की जा रही है। सरकार कुछ क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में रखती है और कुछ क्षेत्रों में निजी पूंजी के निवेश को अनुमति देकर उन्हें नियमों द्वारा नियंत्रित करती है।

साम्यवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हुए मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने कहा था कि साम्यवाद पूंजीपतियों को अपने वश में करके समाजवाद की आड़ में एक नये पूंजीवाद को जन्म देना चाहता है। जो कि क्रोनी पूंजीवाद (Cr ony capit al ism) के रूप में हमारे सामने आया।

क्रोनी कैपिटलिज़्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिज़नेस की सफलता बाज़ार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच सांठगांठ, व्यापारियों द्धारा राजनैतिक पार्टियों को दिये जाने वाले चन्दे, व्यापारी-सरकारी अधिकारियों और नेताओं के रसूख़ के कारण व्यापारियों को दिए गए अनुचित लाभ, टैक्स में फ़ायदा, अपने मनपसंद लोगों को टेंडर देना, व्यापारी वर्ग के हितों के लिए नीतियां बनाना, प्रतियोगिता को रोकना, नयी फर्मों के प्रवेश को रोकना, व्यापारियों द्धारा न अदा किये जाने वाले बैंक ऋण माफ़ी और अन्य तरह के व्यापारिक सहयोग पर निर्भर करती है।

क्रोनी कैपिटलिज़्म इंडेक्स के अनुसार मुख्य क्रोनी पूंजीवादी

साम्यवाद पूंजीपतियों को अपने वश करके समाजवाद की आड़ में एक नये पूंजीवाद को जन्म देना चाहता है। जो कि क्रोनी पूंजीवाद (Cro-ny capital-ism) के रूप में हमारे सामने आया। क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिज़नेस की सफलता बाज़ार की शक्तियों के द्वारा नही बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच सांठगांठ पर निर्भर करती ।

अर्थव्यवस्थाएं जिनमें रूस को प्रथम स्थान प्राप्त होने के साथ, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तुर्की, चीन, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, भारत का 10वां स्थान है।

मानवता के अंतिम आदर्श धर्म और जीवन प्रणाली होने के नाते इस्लाम जीवन के सभी पहलुओं में व्यापक और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस्लाम ने जहां क्रांतिकारी पहलुओं के साथ जीवन की अन्य अवधारणाओं को पेश किया है वहीं इसने आर्थिक



जीवन की अवधारणाओं को भी बदला है। जबकि इस्लाम द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की अवधारणा केवल धन या समाज में उपलब्ध आर्थिक व मानवीय संसाधनों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आर्थिक शिक्षाओं और विचारों को बढ़ावा देना है, जिसके प्रकाश में मानव अधिकारों की प्राप्ति और कर्तव्यों के निर्वहन के परिणामस्वरूप समाज न्याय का एक ऐसा केन्द्र बनता है।

जहां निष्पक्षता के साथ धन एवं संसाधनों का वितरण समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होता है। साथ ही इस्लाम ने अर्थशास्त्र की अवधारणा को केवल शिक्षाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे मान्यताओं की शुद्धता और इबादत से जोड़ कर धर्म की एक नई तस्वीर बनाकर प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि प्रारम्भ से लेकर आज तक जहां और जब भी इस्लाम का प्रभुत्व रहा है इस्लामी समाज आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का एक आदर्श उदाहरण रहा है।

इस्लाम समस्त जीवन का एक व्यापक सिद्धांत है। जिसका संबंध मानव जीवन के किसी एक पहलू से नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं से है। इस्लाम का मत ये है कि संसार में मानव का जीवन उसकी परीक्षा स्थली है। ये परीक्षा मानव की एक-दूसरे पर अपनी योग्यता और क्षमता में पाये जाने वाली प्राकृतिक असमानता के अनुसार उसकी पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। इस्लाम का ये मत भी है कि मानव का वास्तविक परीक्षण उसके मरणोप्रांत होगा। ग़रीब और अमीर का परिक्षण उनकी धन सम्पदा से नहीं वर्न ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत कृतज्ञता, आज्ञाकारिता, धैर्य, ईश्वर द्वारा निर्धारित और नबियों के माध्यम से भेजे गये नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण के मापदंडों के अनुसार होगा।

इस्लाम मानव जीवन में धन के महत्व को पूरा स्थान देता है। इस्लाम व्यापार की अनुमति देता है, ब्याज, जुए और शराब को प्रतिबंधित करता है। इस्लाम ज़कात, सदकात और विरासत की अनिवार्यता के माध्यम से वंचितों और कमज़ोरों का उत्थान करना चाहता है।

इस्लाम ने ऐसे आधारभूत सिद्धान्त बताये हैं, जिनके आधार पर हर युग में आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण किया जा सकता है। इस्लाम का ये नियम है कि वह जीवन के हर क्षेत्र के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिनके भीतर रहते हुए मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र को आकार दे सकता है। इस्लाम द्वारा निर्धारित ये सीमाएं मनुष्य को उसकी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार, उसके निजी जीवन के मामलों से लेकर संस्कृति और सभ्यता के सभी क्षेत्रों तक मार्गदर्शन करती हैं। क्रमशः...

■■

मूर्खता का समर्थन क्यों?

विचारणीय



गुलज़ार सहराई

इस्लाम विरोधियों की ओर से वर्षों से मुसलमानों पर यह मिथ्यारोपण किया जाता रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। वे यह झूठ फैलाते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने अपने सत्ताधिकार और शक्ति का प्रयोग कर ग़ैर-मुस्लिमों, विशेषकर भारत के हिन्दुओं को, जबरन ''कलिमा'' पढ़ने और मुसलमान बनने पर मजबूर किया। झूठ की इन्तिहा यहां तक कर दी कि औरंगज़ेब के बारे में यह प्रोपेगंडा फैला दिया गया कि वह जब तक सवा मन जनेऊ न जलवा लेता, खाना न खाता था। सोचने की बात यह है कि कुछ धागों से बने जनेऊ का वज़न ही कितना होता है, और फिर सवा मन जनेऊ का मतलब तो अरबों-खरबों लोग बनेंगे जाकर, जबकि जनेऊ केवल ब्राह्मण धारण करते हैं। यानी एक बार के खाने से पहले अरबों-खरबों ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन! क्या यह बात बुद्धि और अनुभवों पर फ़िट बैठती है?

> **अगर आपके पास अपनी बात के पक्ष में तर्क हैं तो आप उन तर्कों से सामने वाले की विचारों में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं, या कम से कम उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है किसी के विचारों में बदलाव लाने का।**

बहरहाल, हम इस बहस को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इस प्रोपेगंडे के खंडन में इससे पहले भी मुस्लिम विद्वान और इतिहासकार सच सामने लाते रहे हैं, जिसमें से एक कड़वा सच यह है कि भारत में इस्लाम सूफ़ियों की शिक्षाओं से फैला या फिर इसका कारण हिन्दू समाज में व्याप्त वर्ण-व्यवस्था का चलन था। अपने समाज के इस दोष को छिपाने के लिए मुसलमानों पर बलात् धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए और इस्लाम और मुस्लिम विरोधी प्रोपेगंडे का यह सिलसिला आज तक जारी है, जिसमें अच्छे-ख़ासे ''सद् बुद्धि'' रखने के दावेदार भी ग्रस्त नज़र आते हैं।

सबसे पहले तो हम क़ुरआन का ही यह आदेश सामने रखते हैं जिससे मालूम होता है कि इस्लाम न केवल बलात् धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह तो इसका विरोध करता है। क़ुरआन में कहा गया है–"धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही रास्ता ग़लत से अलग हो गया है। तो जो व्यक्ति ताग़ूत को नकार दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने सबसे भरोसेमंद सहारा पकड़ लिया है। वह कभी नहीं टूटेगा। और अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है।"

(सूरा-2, आयत-256)

क़ुरआन की यह आयत स्पष्ट कर देती है कि इस्लाम अपनी दावत और सन्देश के सम्बन्ध में किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती का समर्थक बिल्कुल नहीं है। वह तार्किक रूप से अपनी बात रखता है, जिसे चाहे मानना है, वह माने, जिसे नहीं मानना है, उस पर कोई ज़ोर नहीं। क़ुरआन की उक्त आयत के आख़िर में यह कहकर कि, ''अल्लाह सब कुछ सुनता, जानता है'' यह बता दिया गया कि वह दिलों का हाल तक जानता है। इसलिए अगर किसी से ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई तो उसका यह इस्लाम स्वीकार्य करना अल्लाह के निकट मान्य न होगा।

यहां यह भी याद रहे कि इस्लाम दिखावे को पसन्द नहीं करता और जो व्यक्ति ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करने के लिए मात्र दिखावे हेतु कलिमा पढ़ भी ले, परन्तु दिल से वह इस्लाम को स्वीकार न करता हो, उसे इस्लामिक परिभाषा में ''मुनाफ़िक़'' अर्थात् मिथ्याचारी कहा गया है और अल्लाह के निकट उन्हें ईमान वाला

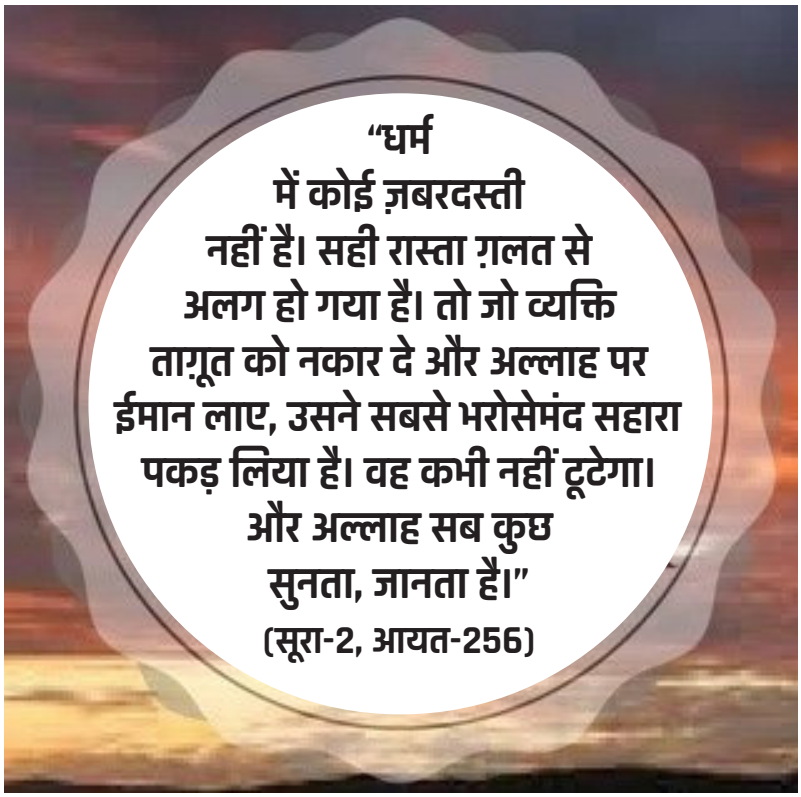
स्वीकार नहीं किया जाता। ज़ाहिर है ऐसे दिखावटी मुसलमानों की इस्लाम को ज़रूरत है, न सच्चे मुसलमानों को, फिर वे किसी से ज़बरदस्ती कलिमा पढ़ाकर मात्र संख्या बढ़ाने के लिए अपने समाज में ''मुनाफ़िक़ों'' को शामिल क्यों करेंगे?

क़ुरआन की यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसे समझने में किसी को दिक़्क़त नहीं होनी चाहिए। कम से कम मुसलमान तो इसे बख़ूबी समझते हैं। इसलिए वे ऐसी मूर्खता कभी नहीं करते कि किसी को जबरन इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर करें और अपने समाज में दिखावटी मुसलमानों यानी मुनाफ़िक़ों की संख्या बढ़ा लें। हां, उन लोगों को यह समझने में दिक़्क़त ज़रूर आती है, जिनके समाज के कुछ शरारती तत्व मुसलमानों को पकड़कर उनसे जबरन ''जय श्रीराम'' के नारे लगवाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसे लोग यदि यह समझते हैं कि किसी से जबरन कुछ शब्द कहलवा लेने से उसका धर्म बदल जाएगा, तो हो सकता है कि यह उनके निकट सही भी हो, मगर इस्लाम ऐसी मूर्खता का कभी समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के निकट धर्म केवल कुछ शब्दों के उच्चारण का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक पूरी विचारधारा और फिर उस विचारधारा पर आधारित एक सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था का नाम है।

यह सर्वमान्य और सर्वविदित है कि विचारों का सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। आप किसी को पकड़कर ज़ोर-ज़बरदस्ती उससे अपने मनचाहे शब्द बुलवा सकते हैं, और हो सकता है कि वह अपनी जान के ख़ौफ़ से आपके बताए शब्द बोल भी दे, मगर आप उसके दिल-दिमाग़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसे अपना समविचार नहीं बना सकते, न अपने आराध्यों के प्रति उसके मन में आस्था एवं श्रद्धाभाव पैदा कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी ज़ोर लगा लें। वह भले ही वक़्ती तौर पर आपकी बात मान ले, लेकिन वह दिल ही दिल में आपको बुरा कहता रहेगा, और जैसे ही उसे मौक़ा मिलेगा, वह तौबा करेगा, अपने रब से माफ़ी मांगेगा और पुनः अपने धर्म में वापस पलट जाएगा।

अलबत्ता अगर आपके पास अपनी बात के पक्ष में तर्क हैं तो आप उन तर्कों से सामने वाले की विचारों में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं, या कम से कम उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है किसी के विचारों में बदलाव लाने का।

कोई भी ऐसा धर्म जो केवल मनुष्यों की बनाई हुई संस्कृति पर निर्भर न हो, बल्कि उसका सम्बन्ध सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता ईश्वर से हो, वह अपने प्रचार के लिए कभी ज़ोर-ज़बरदस्ती का सहारा नहीं ले सकता। जो लोग इस्लाम पर यह मिथ्यारोप लगाते हैं, वे या तो धर्म के प्रति गंभीर नहीं होते, या धर्म को केवल कपड़ों जैसी कोई चीज़ समझते हैं, कम से कम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता ईश्वर प्रदत्त विचारधारा और जीवन प्रणाली तो बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे लोगों के बारे में यही कहा जाएगा कि उनका किसी ईश्वर, किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता, चुनांचे उनके शरारती तत्व केवल अपने अहं की तुष्टि के लिए अपनी संस्कृति को बलपूर्वक लोगों पर थोपना चाहते हैं और इस मानसिकता से ग्रस्त लोग इस्लाम को भी ऐसी ही कोई संस्कृति समझते हैं और समझने पर अड़े रहते हैं। ■■



पाचन संबंधी रोगों के प्रति रहें सचेत



बदलते दौर में हमारे खान-पान में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले के मुक़ाबले आज के समय में लोगों को डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। इन सबकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब जीवनशैली और खान-पान में लापरवाही है। पेट में दर्द, गैस, सीने में जलन और पाचन संबंधी अन्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये सब चिंता का कारण नहीं होतीं। हालांकि, कई बार ये लक्षण किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा करते हैं।

कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के जनरल फिजीशियन डॉक्टर विनय भट्ट के अनुसार कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ एक-सी लगती हैं। लेकिन बावजूद इसके रोगी अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर से खुलकर बात नहीं करते और न ही इन पाचन संबंधी परेशानियों को पहचान पाते हैं। इन परेशानियों की बात करने में हिचक व कभी-कभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जबकि कुछ बातों का ध्यान कर इस समस्या से कुछ राहत मिल सकती है।

सीने में जलन (Heart Burn)

यदि अक्सर आपको सीने में जलन की समस्या परेशान करती हैं तो इसका कारण जीइआरडी (GERD) भी हो सकता है, यानी गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स (Gastroesophageal Reflux)। यह एक तरह का डाइज़ेशन



से सम्बंधित रोग है। इसमें कभी-कभी व्यक्ति को दर्दनाक स्थिति से गुज़रना पड़ता है। साथ ही उसे कुछ भी निगलने में तकलीफ़ हो सकती है। इससे संबंधित व्यक्ति को पेट में ऐंठन की समस्या के साथ एसोफैगल कैंसर तक का ख़तरा झेलना पड़ सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो उसको छाती में जलन महसूस होगी और मुंह में खट्टा स्वाद बना रहेगा। इससे बचने के लिए आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ ही एसिड को बढ़ने से भी रोक सकते हैं।

पेप्टिक अल्सर (Digestive Problem Peptic Ulcer)

अगर आपको पेट में दर्द की समस्या है तो आप इसे नज़रअंदाज़ न करें। अगर आपको अल्सर होने का जरा-सा भी संदेह है, तो आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट की मदद लें। अल्सर की समस्या से आपका पेट और छोटी आंत बुरी तरह से प्रभावित होती है। जो धूम्रपान करने से बढ़ती है। कभी-कभी पेप्टिक अल्सर की वजह से अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है। जो को गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। अल्सर का इलाज करने के लिए आप एंटीबायोटिक दवाओं का विकल्प चुन सकते हैं। जो 10-12 दिन में बन रही एसिड में कमी कर आराम देती हैं। अधिक गंभीर समस्या में सर्जरी आवश्यक होती है।

पेट में दर्द की समस्या (Inflammatory Bowel Digestive Problem)

डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में से एक



डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में से एक आंतों में सूजन होना शामिल है। जिसकी वजह से पेट में दर्द और दस्त की शिकायत हो सकती है। क्रोहन या अल्सरेटिव कोलाइटिस, दो सबसे आम आंतों की सूजन वाले रोग हैं। इसमें गुदा से रक्तस्राव या वज़न घटने की समस्या होने लगती है, जो अल्सर का कारण बन जाता है।

आंतों में सूजन होना शामिल है। जिसकी वजह से पेट में दर्द और दस्त की शिकायत हो सकती है। क्रोहन या अल्सरेटिव कोलाइटिस, दो सबसे आम आंतों की सूजन वाले रोग हैं। इसमें गुदा से रक्तस्राव या वज़न घटने की समस्या होने लगती है, जो अल्सर का कारण बन जाता है। ऐसे में आपको तुरंत इलाज की ज़रूरत होगी। आप एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं, जो किसी बड़े ख़तरे को टाल सकते हैं।

आंतों की सूजन (Digestive Disorder of the Intestines)

आंतों में किसी भी तरह का विकार आपको ऐंठन, सूजन या दस्त जैसी पाचन समस्या दे सकता है। ये एक लंबे समय तक चलने वाली समस्या है। ओवर-द-काउंटर उपाय का इस्तेमाल करें। अगर आपको मल त्याग करने में एक सप्ताह का वक़्त हो गया है तो आप जुलाब खा सकते हैं। इससे पेट साफ़ हो जाएगा। आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो ये बवासीर की समस्या भी बन सकती है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीने और फाइबर रिच फूड खाने से, साथ में साबुत अनाज, फलों और सब्जियों का सेवन आपको क़ब्ज़ से बचा सकता है। इसके अलावा चिकित्सक की सलाह से ऐसी दवाइयों का सेवन करें जिनसे आपकी क़ब्ज़ की समस्या कम हो सकती है।

सीलिएक रोग (Digestive Problem-Celiac Disease)

डाइज़ेशन से जुड़ी ये सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। इसमें आपको राई, जौ, गेंहूं और अन्य अनाजों में मिलने वाले प्रोटीन छोटी आंत पर ट्रिगर करते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो पेट में दर्द और सूजन, दस्त, उल्टी, क़ब्ज़ की समस्या झेलनी पड़ती है। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। आप खान-पान में नियंत्रण रखकर ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर बार-बार आपका डाईज़ेशन सिस्टम आपको परेशान कर रहा है, तो आप विशेषज्ञ की मदद लेने में बिल्कुल भी देरी न करें। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सम्बंधित डॉक्टर के परामर्श से आप अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं। ■■

आज के ज़माने के कुछ शानदार करियर विकल्प



करियर



संपादन प्रभाग

हर छात्र एक बेहतर करियर का चुनाव करके अपने जीवन में एक ऊंचा मक़ाम हासिल करना चाहता है। आज के ज़माने में विद्यार्थियों के पास अलग-अलग करियर ऑप्शंस हैं जैसे कि—फैशन डिजाइनिंग, फैब्रिक डिजाइनिंग, निर्यात, होटल उद्योग, मीडिया और पत्रकारिता, पैकेजिंग, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि। ऊंचा मक़ाम हासिल करने के लिए सही करियर का चुनाव बहुत ज़रूरी है।

कोई भी विद्यार्थी, 12वीं पास करने के बाद इन करियर ऑप्शंस में से किसी एक को चुन सकता है। ये करियर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं–

नागरिक उड्डयन - शानदार सैलरी पैकेज और दूसरे फ़ायदों के कारण इसे आज के ज़माने का सबका हॉट करियर ऑप्शन माना जाता है। इस फ़ील्ड की कुछ प्रमुख नौकरियां इस प्रकार है– पायलट, हवाई अड्डा प्रबंधक, वायु यातायात नियंत्रक, हवाई अड्डे सुरक्षा, ग्राउंड स्टाफ़ इत्यादि इस फील्ड की कुछ प्रमुख पोस्ट हैं।

फ़ैशन डिजाइनिंग-इस करियर ऑप्शन के द्वारा आप अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं।

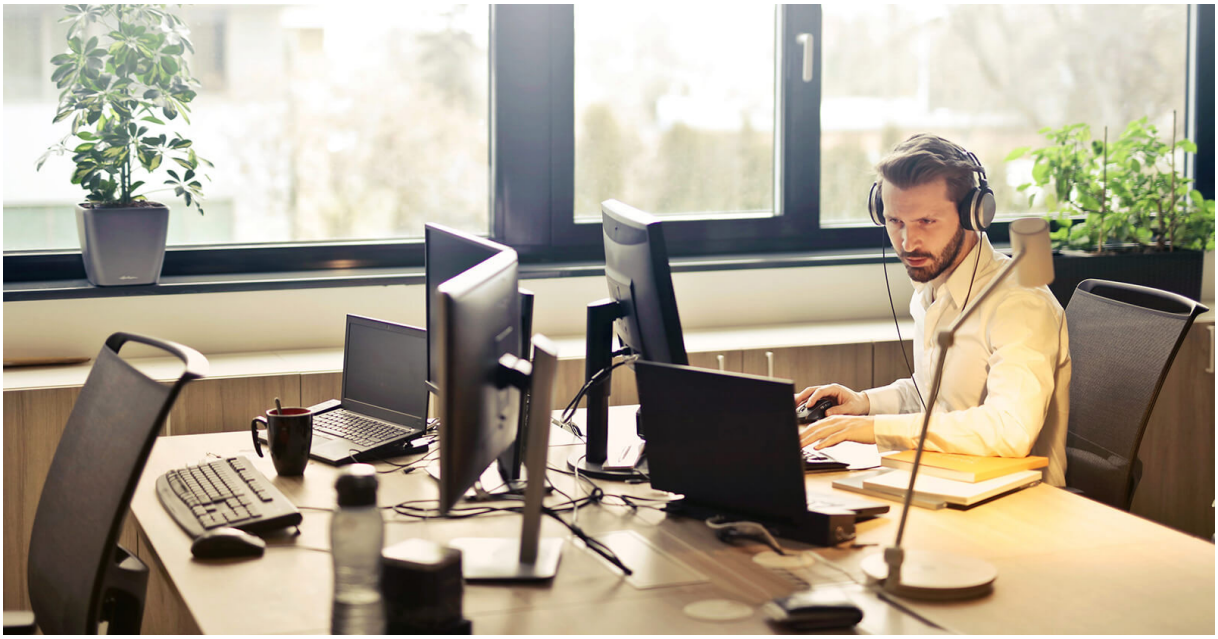
सौंदर्य/जीवन शैली (Beauty/ Lifestyle) - महिला हो या पुरुष आज के ज़माने में हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है और फिट भी रहना चाहता है जिसके कारण Beauty/ Lifestyle जैसी फ़ील्ड्स में करियर के नए दरवाज़े खुले हैं। विद्यार्थी चाहें तो डिप्लोमा या डिग्री कोर्स पूरा करके कहीं जॉब कर सकते हैं या फिर अपना ख़ुद का पार्लर भी खोल सकते हैं।

फैब्रिक डिजाइनिंग - आज के ज़माने में फैब्रिक डिजाइनिंग का डेफरी कोर्स विद्यार्थियों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इस कोर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। फैब्रिक डिजाइनिंग से जुड़ी डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी कई नामी-गिरामी कम्पनियों में काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं।

निर्यात - भारत कई चीज़ों का दूसरे देशों को निर्यात करता है। कोई भी भारत सरकार से अनुमोदन और लाइसेंस लेकर ये काम शुरू कर सकता है। धीरे-धीरे अनुभव बढ़ने के साथ-साथ आपका मुनाफ़ा भी बढ़ता जायेगा। निर्यात से हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा भी पहुंचाती है।

होटल उद्योग - जैसे-जैसे हमारे देश में पर्यटन बढ़ा है वैसे-वैसे होटल उद्योग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से होटल उद्योग के क्षेत्र में पेशेवर लोगों की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल एक्सपोज़र दोनों हैं। आप किसी अच्छे कॉलेज से इससे जुड़ा कोर्स पूरा करने के बाद आप आसानी से अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं।

मीडिया और पत्रकारिता-मीडिया एक चुनौतीपूर्ण और जीवंत क्षेत्र है। आप अपनी रुचि के आधार पर बड़े पैमाने पर मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े



पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कर सकते हैं और एक पत्रकार, पत्रकार, डिजाइनर, निर्माता, फ़ोटोग्राफ़र आदि के रूप में करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में भी नाम और पैसा दोनों हैं।

प्रकाशन - एक प्रकाशक के मुख्य काम, लेखकों की रचनाओं को इकट्ठा करना, उन्हें सही क्रम में रखना, जहां ज़रूरत हो वह चित्र लगाना इत्यादि होते हैं। किताब बनने से लेकर मार्केट में किताब बेचे जाने तक के सारे काम एक प्रकाशक के होते हैं। यह काम चुनौतीपूर्ण तो है किन्तु इसके द्वारा अच्छा पैसा कमाया जा सकता है।

पैकेजिंग - बाज़ार में बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद की सफलता उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर उत्पाद को ठीक से पैक नहीं किया गया तो ये संभावना होती है कि कोई ग्राहक इसे नहीं ख़रीदेगा। इसलिए पैकेजिंग उत्पाद को बेचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैकेजिंग के महत्व की वजह से मार्केट में इससे जुड़े पेशेवरों की मांग बहुत बढ़ी है। कई अच्छे कॉलेज इससे जुड़े कोर्स करवा रहे हैं।

रेलवे - भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की वजह से पेशेवरों की मांग बढ़ी है। भारत सरकार के अधीन भारतीय रेलवे में पेशेवरों की



मांग हमेशा बनी रहती है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को अच्छी सैलरी के साथ-साथ बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं।

प्रिंटिंग - पैकेजिंग की तरह प्रिंटिंग भी किसी उत्पाद की बिक्री में बड़ी भूमिका अदा करती है। आज के दौर में प्रिंटिंग के क्षेत्र में कई करियर ऑप्शन उभरे हैं। यह करियर ऑप्शन सदाबहार है और इस क्षेत्र में मंदी आने के चांस न के बराबर हैं। किसी भी अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं या फिर ख़ुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं।

पब्लिक रिलेशन (पीआर) - हर कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफ़ीसर की ज़रूरत होती है। आज कल अभिनेता, खिलाड़ी, मॉडल, फैशन डिज़ाइनर आदि लोग भी पब्लिक रिलेशन ऑफ़ीसर रखते हैं। इस क्षेत्र में अच्छा पैसा है और इसमें काम करने वाले लोग अक्सर प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) - सूचना प्रौद्योगिकी में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। दुनिया के सबसे कुशल और सक्षम आईटी पेशेवरों में भारत के कई लोग हैं जिन्होंने कई देशों के विकास में अमूल्य योगदान दिया



है, जिनमें अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री हासिल करने के बाद इस क्षेत्र में करियर बना सकता है।

इलेकट्रोनिक मीडिया - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न और रेडियो में कई अच्छे करियर विकल्प मौजूद हैं, जिनमें रेडियो जॉकी, निर्माता, निर्देशक, ध्वनि इंजीनियर, ए/वी संपादक, प्रोग्रामर, लेखक इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी इस क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद दिए गये करियर ऑप्शंस में से एक को चुन



सकते हैं।

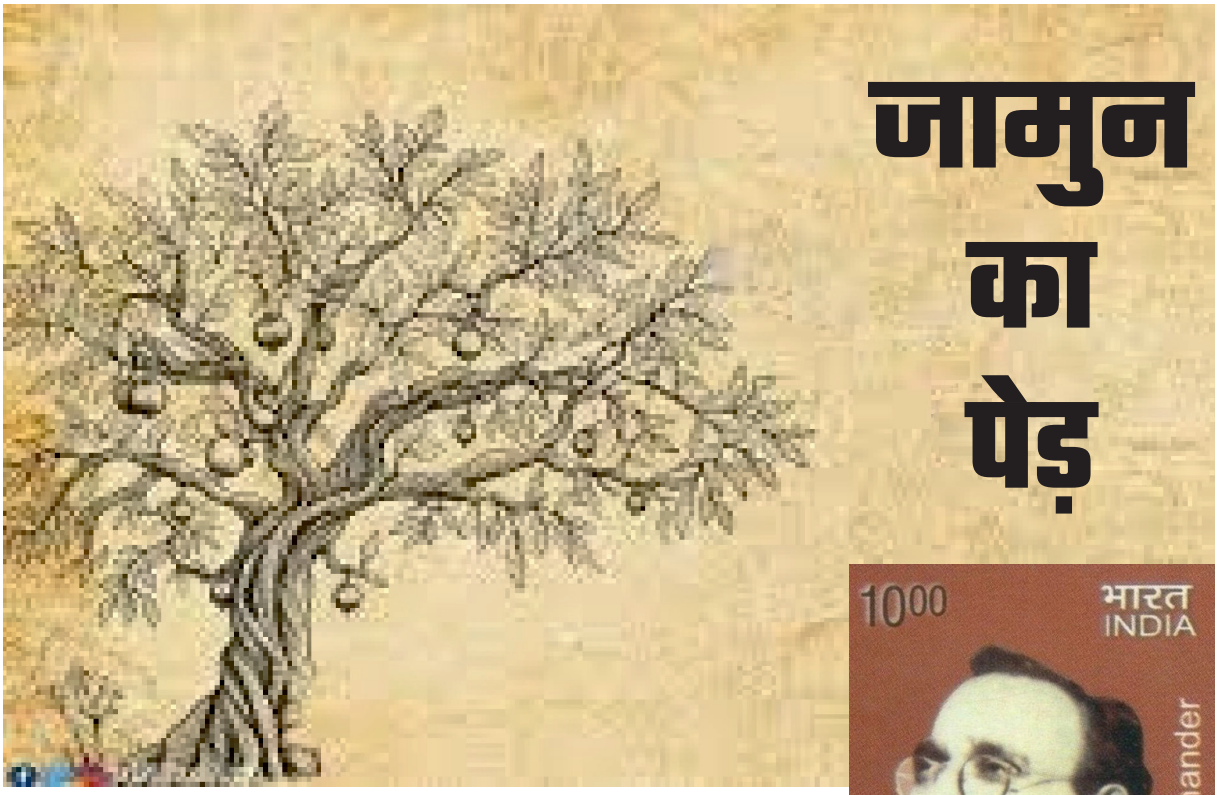
यात्रा एवं पर्यटन - यात्रा और पर्यटन विदेशों से पर्यटकों और आगंतुकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेशी पर्यटन बढ़ने से इस क्षेत्र में करियर के कई नए अवसर खुले हैं। यात्रा और पर्यटन उद्योग भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत योगदान देता है। कई प्रतिष्ठित कॉलेज और संस्थान इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। आप सबसे उपयुक्त कोर्स का चयन कर सकते हैं और उसे पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

तो ये थे कुछ उभरते हुए और शानदार करियर ऑप्शंस। 12वीं पास विद्यार्थी अपनी सुविधा और दिलचस्पी के अनुसार इन करियर ऑप्शंस में से किसी एक को चुन सकते हैं और ऊंचा मक़ाम हासिल कर सकते हैं।

■■



Whatsapp (9818799223) your complete address with screenshot of payment



जामुन का पेड़

कृष्ण चंदर

कहानी

रात को बड़े ज़ोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरियट के लॉन में जामुन का एक दरख़्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि दरख़्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है।

माली दौड़ा-दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा-दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा-दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा-दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख़्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया।

"बेचारा! जामुन का पेड़ कितना फलदार था।" एक क्लर्क बोला।

"इसकी जामुन कितनी रसीली होती थीं।" दूसरा क्लर्क बोला।

"मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी ख़ुशी से खाते थे।" तीसरे क्लर्क ने तक़रीबन आब-दीदा होकर कहा।

"मगर ये आदमी?" माली ने दबे हुए आदमी की तरफ़ इशारा किया।

"हां, यह आदमी!" सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया।

"पता नहीं ज़िंदा है कि मर गया!" एक चपरासी ने पूछा।

"मर गया होगा। इतना भारी तना जिनकी पीठ पर गिरे, वह बच कैसे सकता है!" दूसरा चपरासी बोला।

"नहीं मैं ज़िंदा हूं!", दबे हुए आदमी ने ब-मुश्किल कराहते हुए कहा।

"ज़िंदा है!", एक क्लर्क ने हैरत से कहा।

"दरख़्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए।" माली ने मश्वरा दिया।

"मुश्किल मालूम होता है।" एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। "दरख़्त का तना बहुत भारी और वज़नी है।"

"क्या मुश्किल है?" माली बोला। "अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी पंद्रह-बीस माली, चपरासी और क्लर्क ज़ोर लगाकर दरख़्त के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं।"

"माली ठीक कहता है।" बहुत-से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। "लगाओ ज़ोर, हम तैयार हैं।"

एकदम बहुत से लोग दरख़्त को

काटने पर तैयार हो गए।

"ठहरो!", सुपरिटेंडेंट बोला, "मैं अंडर-सेक्रेटरी से मश्वरा कर लूं।"

सुपरिटेंडेंट अंडर-सेक्रेटरी के पास गया। अंडर-सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइन्ट सेक्रेटरी चीफ़ सेक्रेटरी के पास गया।

चीफ़ सेक्रेटरी ने ज्वाइन्ट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फ़ाइल बन गई।

फ़ाइल चलने लगी। फ़ाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुज़र गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा।

वह हुकूमत के फ़ैसले का इंतिज़ार किए बग़ैर दरख़्त को ख़ुद से हटाने का तहैया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फ़ाइल लिए भागा-भागा आया, बोला, "हम लोग ख़ुद से इस दरख़्त को यहां से हटा नहीं सकते। हम लोग महकमा-ए-तिजारत से मुताल्लिक़ हैं और यह दरख़्त का मामला है जो महकमा-ए-ज़राअत की तहवील में है। इसलिए मैं इस फ़ाइल को अर्जेन्ट मार्क करके महकमा-ए-ज़राअत में भेज रहा हूं। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा।"

दूसरे दिन महकमा-ए-ज़राअत से जवाब आया कि दरख़्त हटवाने की ज़िम्मेदारी महकमा-ए-तिजारत पर आयद होती है। यह जवाब पढ़कर महकमा-ए-तिजारत को ग़ुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की ज़िम्मेदारी महकमा-ए-ज़राअत पर आयद होती है। महकमा-ए-तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

दूसरे दिन भी फ़ाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। "हम इस मामले को हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरख़्त का मामला है और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट सिर्फ़ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फ़ैसला करने का मज़ाज है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है इसलिए पेड़ हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट के दायरा-ए-इख़्तियार में आता है।"

रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल-भात खिलाया हालांकि लॉन के चारों तरफ़ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग क़ानून को अपने हाथ में ले के दरख़्त को ख़ुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी।

रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल-भात खिलाया हालांकि लॉन के चारों तरफ़ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग क़ानून को अपने हाथ में ले के दरख़्त को ख़ुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी।

माली ने दबे हुए आदमी से कहा, "तुम्हारी फ़ाइल चल रही है। उम्मीद है कि कल तक फ़ैसला हो जाएगा।"

दबा हुआ आदमी कुछ न बोला।

माली ने पेड़ के तने को ग़ौर से देखकर कहा, "हैरत गुज़री कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती।"

दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला।

माली ने फिर कहा, "तुम्हारा यहां कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता-पता बताओ। मैं उसे ख़बर देने की कोशिश करूंगा।"

"मैं लावारिस हूं।" दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा।

माली अफ़सोस ज़ाहिर करता हुआ वहां से हट गया।

तीसरे दिन हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज़-आमेज़। हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिज़ाज का आदमी मालूम होता था।

उसने लिखा था, "हैरत है, इस समय जब "दरख़्त उगाओ" स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफ़सर मौजूद हैं जो दरख़्त काटने का मश्वरा देते हैं, वह भी एक फलदार दरख़्त को! और फिर जामुन के दरख़्त को! जिसके फल अवाम बड़ी रग़बत से खाते हैं! हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख़्त को काटने की इज़ाजत नहीं दे सकता।"

"अब क्या किया जाए?", एक मनचले ने कहा। "अगर दरख़्त काटा नहीं

जा सकता तो इस आदमी को काटकर निकाल लिया जाए! यह देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से, यानी धड़ के मक़ाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और दरख़्त वहीं का वहीं रहेगा।"

"मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा!" दबे हुए आदमी ने एहतिजाज किया।

"यह भी ठीक कहता है!", एक क्लर्क बोला।

आदमी को काटने वाली तजवीज़ पेश करने वाले ने पुर-ज़ोर-एहतिजाज (कड़ा विरोध) किया, "आप जानते नहीं हैं। आजकल प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए धड़ के मक़ाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है।"

अब फ़ाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फ़ाइल मिली, उसने उसी दिन इस महकमे का सबसे क़ाबिल प्लास्टिक सर्जन तहक़ीक़ात के लिए भेज दिया।

सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर, उसकी सेहत देखकर, ख़ून का दबाव, सांस की आमद-ओ-रफ़्त, दिल और फेफड़ों की जांच कर के रिपोर्ट भेज दी कि, "इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा।"

लिहाज़ा यह तज्वीज़ भी रद्द कर दी गई।

रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुक़मे डालते हुए उसे बताया, "अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरियट के सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग होगी। इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा।"

दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ता से बोला, "हमने माना कि तग़ाफ़ुल न करोगे, लेकिन ख़ाक हो जाएंगे हम, तुमको ख़बर होने तक!"

माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई। हैरत से बोला, "क्या तुम शायर हो?"

दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया।

दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और

सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर, उसकी सेहत देखकर, ख़ून का दबाव, सांस की आमद-ओ-रफ़्त, दिल और फेफड़ों की जांच कर के रिपोर्ट भेज दी कि, "इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा।"

क्लर्क ने हेड-क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरियट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है।

बस फिर क्या था। लोग जौक़-दर-जौक़ शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी ख़बर शहर में फैल गई। और शाम तक मुहल्ले-मुहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरियट का लॉन भांत-भांत के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरियट के कई क्लर्क और अंडर-सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए।

कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी ग़ज़लें और नज़्में सुनाने लगे। कई क्लर्क उससे अपनी ग़ज़लों पर इस्लाह लेने के लिए मुसिर होने लगे।

जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरियट की सब-कमेटी ने फ़ैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है लिहाज़ा इस फ़ाइल का ताल्लुक़ न एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट से बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कल्चरल डिपार्टमेंट से है।

कल्चरल डिपार्टमेंट से इस्तिदा (गुज़ारिश) की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फ़ैसला करके बदनसीब शायर को इस शजर-ए-सायादार से रिहाई दिलाई जाए।

फ़ाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख़्तलिफ़ शोबों से गुज़रती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक़्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरियट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा।

"तुम शायर हो?" उसने पूछा।

"जी हां।" दबे हुए आदमी ने जवाब दिया।

"क्या तख़ल्लुस करते हो?"

"अवस।"

"अवस!" सेक्रेटरी ज़ोर से चीख़ा। "क्या तुम वही हो जिसका मजमूआ'-ए-कलाम "अवस के फूल" हाल ही में शाया हुआ है?"

दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया।

"क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो?" सेक्रेटरी ने पूछा।

"नहीं!"

"हैरत है!" सेक्रेटरी ज़ोर से चीख़ा।

"इतना बड़ा शायर! "अवस के फूल" का मुसन्निफ़! और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है! उफ़, उफ़! कैसी ग़लती हो गई हमसे! कितना बड़ा शायर और कैसे गोशा-ए-गुमनामी में दबा पड़ा है!"

"गोशा-ए-गुमनामी में नहीं बल्कि एक दरख़्त के नीचे दबा हुआ... बराहे-करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए।"

"अभी बंदोबस्त करता हूं।" सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की।

दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा-भागा शायर के पास आया और बोला, "मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी मर्क़ज़ी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। यह लो परवाना-ए-इंतिख़ाब!"

"मगर मुझे इस दरख़्त के नीचे से तो निकालो।" दबे हुए आदमी ने कराहकर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह शदीद तशन्नुज और करब में मुब्तिला है।

"यह हम नहीं कर सकते।" सेक्रेटरी ने कहा। "जो हम कर सकते थे, वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वज़ीफ़ा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख़्वास्त दो तो हम यह भी कर सकते हैं।"

"मैं अभी ज़िंदा हूं।" शायर रुक-रुककर बोला। "मुझे ज़िंदा रखो।"

"मुसीबत यह है", सरकारी अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, "हमारा महकमा" सिर्फ़ कल्चर से मुताल्लिक़ है। इसके लिए हमने "फॉरेस्ट डिपार्टमेंट" को लिख दिया है। "अर्जेंट" लिखा है।

शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख़्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी।

माली बहुत ख़ुश था कि गो दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी मगर वह किसी-न-किसी-तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े जा रहा है। कल तक... सुबह तक...किसी न किसी तरह इसे ज़िंदा रहना है।

दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी-कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो

वजह यह थी कि इस दरख़्त को दस साल पहले हुकूमत-ए-पिटोनिया के वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) ने सेक्रेटेरियट के लॉन में लगाया था। अब यह दरख़्त अगर काटा गया तो इस अम्र का शदीद अंदेशा था कि हुकूमत-ए-पिटोनिया से हमारे ताल्लुक़ात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे।

उनको दरख़्त काटने से रोक दिया गया। मालूम यह हुआ कि महकमा-ए-ख़ारजा से हुक्म आया कि इस दरख़्त को न काटा जाए।

वजह यह थी कि इस दरख़्त को दस साल पहले हुकूमत-ए-पिटोनिया के वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) ने सेक्रेटेरियट के लॉन में लगाया था। अब यह दरख़्त अगर काटा गया तो इस अम्र का शदीद अंदेशा था कि हुकूमत-ए-पिटोनिया से हमारे ताल्लुक़ात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे।

"मगर एक आदमी की जान का सवाल है!" एक क्लर्क ग़ुस्से से चिल्लाया।

"दूसरी तरफ़ दो हुकूमतों के ताल्लुक़ात का सवाल है।" दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। "और यह भी तो समझो कि हुकूमते-पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। क्या हम उनकी दोस्ती की ख़ातिर एक आदमी की ज़िंदगी को भी क़ुर्बान नहीं कर सकते?"

"शायर को मर जाना चाहिए।"

"बिला-शुबा।"

अंडर-सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया। "आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म बाहर-मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज चार बजे महकमा-ए-ख़ारजा इस दरख़्त की फ़ाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वह फ़ैसला देंगे वही सबको मंज़ूर होगा।"

शाम पांच बजे ख़ुद सुपरिंटेंडेंट शायर की फ़ाइल लेकर उसके पास आया। "सुनते हो?" आते ही ख़ुशी से फ़ाइल हिलाते हुए चिल्लाया, "वज़ीर-ए-आज़म ने दरख़्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़िए की सारी बैनुल-अक़्वामी ज़िम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल वह दरख़्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे।"

"सुनते हो? आज तुम्हारी फ़ाइल मुकम्मल हो गई!" सुपरिंटेंडेंट ने शायर के बाज़ू को हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी क़तार उसके मुंह में जा रही थी।

उसकी ज़िंदगी की फ़ाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। ■■

एकेश्वरवाद : हर मैदान का मार्गदर्शक

आख़िरी पन्ना



डॉ. शाहिद अली

इन्सान की सोच का उसके आचरण और काम पर प्रभाव पड़ता है। सोच और आचरण का रिश्ता ऐसा है, जैसे बैल और बैलगाड़ी का, जिधर बैल जाएगा, उधर गाड़ी भी जाएगी।

दिमाग़ एक बाग़ की तरह होता है। जब उसकी देख भाल नहीं की जाती तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। नकारात्मक सोचों (Negative Thoughts) के साथ रचनात्मक और सकारात्मक काम नहीं हो सकता।

आज की दुनिया में बुराई का अनुपात अच्छाई के मुक़ाबले में लगातार बढ़ रहा है और समाज में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है।

बाप ने अपने बच्चे से कहा, ''झूठ मत बोलो।'' फिर अगर कोई मिलने आता है, तो ख़ुद कहता है कि कह दो, 'घर पर नहीं हैं।' शिक्षक कहता है, 'ईमानदार बनो।' मगर ख़ुद क्लास नहीं लेता। नेता कहता है, 'अपने देश के लिए क़ुरबानी दो।' और वह ख़ुद देश को अपने ऊपर क़ुरबान कर रहा है। इन परिस्थितियों में नयी पीढ़ी के सामने कोई 'आदर्श प्रतिरूप' (Role Model) या 'आदर्श लक्ष्य' नहीं है।



नतीजा यह होता है कि वह भोग-विलास और मनोरंजन को ही अपना आदर्श बना लेती है। कथनी और करनी का यह विरोधाभास विश्वास के संकट का कारण बन गया है। एकेश्वरवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है, एकेश्वरवाद अर्थात् यह मानना कि सब ख़ुदा पर निर्भर है और ख़ुदा किसी पर निर्भर नहीं, इन्सान को आज़ादी और इज़्ज़त दिलाता है और ख़ुद्दार बनाता है। यह मानना कि ईश्वर हर इन्सान के क़रीब है, उसे देखता और सुनता है, इन्सान को इन्सान की दासता से आज़ाद करता है। इन्सान हर तरह के अंधविश्वास से आज़ाद हो जाता है।

दुनिया में बहुत-सी विचारधाराएं पैदा हुईं और उनके अनुसार अनगिनत व्यवस्थाएं (Systems) अस्तित्व में आयीं और अनेक प्रकार के दर्शन पैदा हुए। जैसे–साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि। इन सबका लक्ष्य

'संसार में स्वर्ग स्थापित करना' अर्थात् एक ऐसा समाज बनाना था, जिसमें पूर्ण न्याय हो, शान्ति हो, ख़ुशी हो, ख़ुशहाली हो, मगर आज तक ये सारी कोशिशें असफल रही हैं, यहां तक कि आज दुनिया में एक विचारधारा-संबंधी शून्य पैदा हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एकेश्वरवाद से लोगों की दूरी है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एकेश्वरवाद ही एकमात्र विचारधारा है, जिसे मानकर और जिस पर चलकर संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इन्सान जितना ज़्यादा एकेश्वरवाद को मानेगा, उतनी ज़्यादा बुराई दुनिया से ख़त्म होगी।

एकेश्वरवाद को मानने वाले का उद्देश्य ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करना होता है और ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को झूठ बोलना छोड़ना होगा, दुनिया से झूठ कम होगा। ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को घूस लेना छोड़ना होगा, दुनिया से घूस कम होगा, ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को अन्याय और अत्याचार बन्द करना होगा, दुनिया से अन्याय और अत्याचार कम होगा। ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को भ्रष्टाचार छोड़ना होगा, दुनिया से भ्रष्टाचार कम होगा।

एकेश्वरवाद को मानने का मतलब यह है कि यह माना जाए कि ख़ुदा ने इन्सान को पैदा किया और उसकी ज़िन्दगी को दो हिस्सों में बांटा–मौत से पहले की ज़िन्दगी और मौत के बाद की ज़िन्दगी और इनके बीच में मौत को रखा। पहली ज़िन्दगी परीक्षा के लिए है और यह अस्थायी और क्षण-भंगुर है और दूसरी ज़िन्दगी सज़ा या इनाम के लिए है और वह हमेशा रहने वाली है और दोनों के बीच मौत एक स्थानांतरण है।

'ख़ुदा है, देख रहा है और उसका सामना करना है। वह इन्सान के विचारों को अवचेतन में, इन्सान की बातों को आवाज़ की लहरों में और इन्सान के

दुनिया में बहुत-सी विचारधाराएं पैदा हुईं और उनके अनुसार अनगिनत व्यवस्थाएं (Systems) अस्तित्व में आयीं और अनेक प्रकार के दर्शन पैदा हुए। जैसे- साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि। इन सबका लक्ष्य 'संसार में स्वर्ग स्थापित करना' अर्थात एक ऐसा समाज बनाना था, जिसमें पूर्ण न्याय हो, शान्ति हो, ख़ुशी हो, ख़ुशहाली हो, मगर आज तक ये सारी कोशिशें असफल रही हैं, यहां तक कि आज दुनिया में एक विचारधारा-संबंधी शून्य पैदा हो गया है। इसका कारण क्या है?

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

कामों को ऊर्जा की लहरों के रूप में रिकॉर्ड कर रहा है।'

यह मानना इन्सान में ज़िम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और वह दूसरों का भला चाहने और हक़ और अधिकार देने वाला और अन्याय और अत्याचार न करने वाला बनता है।

ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है–''परलोक (आख़िरत) में हर आदमी को चार सवालों का जवाब देना होगा, ज़िन्दगी कहां गुज़ारी ? जवानी कहां गुज़ारी ? दौलत कैसे कमाई ? दौलत कहां ख़र्च की?''

एकेश्वरवाद का मानना अर्थात् यह मानना है कि ख़ुदा अत्यंत दयावान है, माफ़ करने वाला है, मगर न्याय और इन्साफ़ करने वाला और कठोर सज़ा देने वाला भी है। यह बात इन्सान को उम्मीद और डर के बीच रखती है, क्योंकि अगर केवल उम्मीद ही उम्मीद हो, तो इन्सान ढीठ हो सकता है और बेझिझक गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर केवल डर ही डर हो तो इन्सान निराशा का शिकार हो सकता है। उम्मीद और डर के बीच वाली स्थिति पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के प्रिय साथी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के कथन से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है–

''अगर आसमान से आवाज़ आये कि एक आदमी दुनिया में से नरक में जाएगा, तो मैं समझूंगा कि वह मैं हूं और अगर आसमान से आवाज़ आए कि एक आदमी दुनिया में से स्वर्ग में जाएगा, तो मैं समझूंगा कि वह मैं हूं।''

एकेश्वरवाद का मानने वाला यह मानता है कि ख़ुदा मालिक है और मैं दास। तब उसकी पूरी ज़िन्दगी इबादत अर्थात् दासता (Slavery) बन जाती



है। इस तरह वह हर समय ख़ुदा के संपर्क में रहता है। एकेश्वरवाद इन्सान के लिए कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, बल्कि यह इन्सान की पूरी ज़िन्दगी पर छाया हुआ होता है, ऐसा आदमी हमेशा सतर्क और सावधान रहता है।

इन्सान का दो तरीक़ों से सुधार किया जा सकता है–भीतर से बाहर की ओर और बाहर से भीतर की ओर। एक तरीक़ा यह है कि क़ानून, ताक़त या सज़ा का डर पैदा करके इन्सान को बुराई करने से रोका जाए और दूसरा तरीक़ा यह है कि भीतर अर्थात् अक़ीदा (धर्म के प्रति आस्था एवं विश्वास) के द्वारा (ख़ुदा है, देख रहा है और उसका सामना करना है)।

इस्लाम इसी दूसरे तरीक़े को अपनाता है, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बेहद ताक़तवर हैं, जिन्हें क़ानून और ताक़त आदि किसी चीज़ का डर नहीं होता। उन्हें केवल एकेश्वरवाद की धारणा ही ठीक रख सकती है। यह धारणा अथवा आस्था सामाजिक चेतना पैदा करती है। एकेश्वरवाद का मानने वाला एक ज़िन्दा ख़ुदा को मानता है। इसलिए वह कभी लाल बत्ती नहीं तोड़ता, सरकारी सम्पत्ति को बरबाद नहीं करता। एकेश्वरवाद का मानने वाला एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा मैनेजर, अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी, अच्छा सैनिक, अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर और अच्छा क्लर्क साबित होता है। ■■

"रोज़ा और क़ुरआन
मोमिन के लिए सिफ़ारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा :
ऐ मेरे रब, मैंने इस व्यक्ति को खाने तथा दूसरी
लज़्ज़तों से रोका तो यह रुका रहा, तो ऐ मेरे रब! इसके
लिए मेरी सिफ़ारिश क़बूल कर ले। और क़ुरआन कहेगा : ऐ
रब ! मैंने इसको रात में सोने से रोका (तो यह अपनी मीठी
नींद छोड़कर तरावीह की नमाज़ में क़ुरआन पढ़ता रहा।)
ऐ रब ! इस व्यक्ति के लिए मेरी सिफ़ारिश क़बूल
कर ले। चुनांचे दोनों की सिफ़ारिशें
अल्लाह क़बूल कर लेगा।"
(हदीस : मिशकात)

with best compliment from

J.I.H., Matiaburj, Kolkata (W.B.)

KANTI Monthly, New Delhi
APRIL 2025
Posted on 20-21 March 2025
Published on 18 March 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

AL-FARIYA HOSPITAL BUDAUN (UP)

A Well Wisher

"जो व्यक्ति रमज़ान का एक रोज़ा भी बिना किसी 'शरई उज़्र' के छोड़ दे, फिर उसकी कमी पूरी करने के लिए वह ज़िन्दगी भर रोज़े रखे तब भी रमज़ान के उस एक रोज़े की कमी पूरी न होगी।"

(हदीस: तिरमिज़ी, अबू दाऊद)